



जुलाई 2019

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक

श्री कमलेश्वर पटेल

मंत्री, पंचायत एवं
ग्रामीण विकास

प्रबंध सम्पादक

संदीप यादव

समन्वय

मध्यप्रदेश माध्यम

परामर्श

अशोक कुमार चौहान

डॉ. विनोद यादव

सम्पादक

रंजना चितले

सहयोग

अनिल गुप्ता

वेबसाइट

आत्माराम शर्मा

आकल्पन

आलोक गुप्ता

विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये

वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क :

मध्यप्रदेश पंचायिका

मध्यप्रदेश माध्यम

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स

भोपाल-462011

फोन : 2764742, 2551330

फैक्स : 0755-4228409

Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने
ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल
के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों
के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति
अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...



5 ▶ नदी का संरक्षण : जल प्रवाह में ही जीवन



07 ▶ जल संरक्षण और संवर्धन की पहल

08 ▶ नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम के लिए बढ़ते कदम



11 ▶ नदी कठार में जल संरक्षण और संवर्धन



18 ▶ मध्यप्रदेश में नदी पुनर्जीवन
बदलता परिदृश्य एक आंकलन

28 ▶ सूख चुकी कनाड़ी नदी फिर बनेगी
जीवनदायिनी

29 ▶ पेयजल संकट से जूझ रही सवा लाख
आबादी की जीवनदायिनी बनी हिरन नदी

30 ▶ मंत्री श्री पटेल द्वारा बालाघाट में 14.28
करोड़ के कार्यों का लोकार्पण

31 ▶ जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिये ग्राम
पंचायतें उत्कृष्ट कार्य करें

32 ▶ वाल्मी तैयार करेगा जलमित्र जो
संभालेंगे जल संरक्षण की जिम्मेदारी

33 ▶ त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन-सामान्य
निर्वाचन वर्ष 2019-20 संशोधित समय-सारणी
एवं कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टीकरण



20 ▶ मध्यप्रदेश में चयनित नदियों का पुनर्जीवन

36 ▶ महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत "नदी
पुनर्जीवन" कार्यक्रम



संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीन अंक पढ़ने को मिला। ग्रामीण विकास पर केन्द्रित इस पत्रिका में ग्रामीणों के उत्थान के लिये राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के साथ ही अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की भी जानकारी मिलती है। मध्यप्रदेश पंचायिका में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हुए लोगों की सफल गाथा भी प्रकाशित की जाती है, जो कि अन्य जरूरतमंद लोगों को भी प्रेरित करती है। मध्यप्रदेश पंचायिका में इस तरह की सफल गाथाएं लगातार प्रकाशित की जायें, यही हमारी अपेक्षा है।

- अनिल कुमार शर्मा
विदिशा (म.प्र.)



संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का जून माह का अंक पढ़ने को मिला। इस अंक में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की ज्ञानवर्धक जानकारीयों प्रकाशित की गई हैं। विगत दिनों प्रदेश में बाल हितैषी पंचायत कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के अलावा कई प्रदेशों के सरपंचों ने हिस्सा लिया था। मध्यप्रदेश में इस तरह के आयोजन नियमित रूप से होने चाहिये। इन आयोजनों से ग्रामीण विकास के कार्यों को गति मिलेगी।

- चन्दन सिंह राठौर
जबलपुर (म.प्र.)



संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का जुलाई 2019 अंक पढ़ा। अंक में मध्यप्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के सार्थक परिणामों की जानकारी प्रकाशित की गई। इसके अलावा पत्रिका में ग्रामीण विकास कार्यों के अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिये किये जा रहे कार्यों जैसे - बुंदेलखण्ड में एक हजार तालाबों को पुनर्जीवित करने की जनोपयोगी जानकारी प्रकाशित की गई है। साथ ही म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान द्वारा जल संग्रहण करने के लिये किये जा रहे कार्यों की जानकारी भी प्रकाशित की जा रही है। ये जानकारीयों आमजनों के लिये बेहद उपयोगी साबित होंगी।

- संदीप जकड़िया
हरदा (म.प्र.)



संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ने को मिला। पंचायिका पत्रिका में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिये किये जा रहे कार्यों की जानकारी पंचायत गजट कॉलम में प्रकाशित होने वाले परिपत्रों के द्वारा मिलती है। इन परिपत्रों का प्रकाशन होना एक अच्छा कदम है। ये परिपत्र पंचायतराज प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और आम ग्रामीणों का मार्गदर्शन करने का सशक्त माध्यम है।

- अंशुल ठाकुर
भोपाल (म.प्र.)



कमलेश्वर पटेल
मंत्री

प्रिय बंधुओ,

जल बिन, जीवन संभव नहीं और जीवन के लिए पानी नदियों से मिलता है। इसीलिए दुनिया भर में मजरी, टोलों, गांवों, कस्बों, शहरों की बसाहटें नदियों के किनारे हैं दुनिया की ऐसी कोई संस्कृति, ऐसी कोई सभ्यता नहीं कि जिसका उद्गम नदियों के किनारे न हुआ हो। यदि आज जीवन पर संकट है, प्राणियों के अस्तित्व पर संकट है तो केवल इसीलिए कि नदियों का क्षरण विकराल रूप ले रहा है। नदियां या तो विलुप्त हो गयीं या विलुप्त होने की कगार पर आ गईं!

यदि नदियों का क्षय और क्षरण इसी तरह होता रहा तो पृथ्वी में जीवन पर ही प्रश्नचिन्ह लग जायेगा, इसीलिए मध्यप्रदेश सरकार ने नदियों के संरक्षण का कार्य प्राथमिकता में लिया है।

इस कार्य में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी। यह कांग्रेस पार्टी के वचन-पत्र में था और वचन-पत्र को पूरा करने के निर्णयों की प्राथमिकता में भी। नदियों की सुरक्षा-संरक्षण का यह अभियान महज एक योजना नहीं होगी, बल्कि एक आन्दोलन होगा। इसमें सरकार, समाज, सामाजिक संगठन और पंचायतें सब मिलकर इस आन्दोलन में अपनी आहुति देंगे।

आरम्भ में भले ही हमने चयनित 40 नदियों और 3621 ग्रामों में शुरुआत करने का निर्णय लिया है। लेकिन समय के साथ इसे व्यापक बनाया जायेगा। यह मध्यप्रदेश के प्रत्येक गांव क्षेत्र में लागू होगा। इस कार्यक्रम में नदी के प्रवाह को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक, तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक तथा अन्य पक्षों को सम्मिलित किया गया है।

नदियों के पुनर्जीवन का यह अभियान समय की जरूरत है। आगामी पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य और उन्नत व समृद्ध जीवन के लिए आवश्यक है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें संपूर्ण प्रदेश सहभागी होगा और हम फिर से मध्यप्रदेश को वही स्वरूप दे पायेंगे। एक समृद्ध और प्रकृति से आच्छादित हरा भरा प्रदेश, इसीलिए इसमें जन-जन का सहयोग आवश्यक है।

(कमलेश्वर पटेल)

मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश शासन



संदीप यादव
आयुक्त

प्रिय पाठको,

मध्यप्रदेश की नदियों में पानी वर्षा जल और भूगर्भीय जल से प्राप्त होता है। वर्तमान में एक तरफ पानी की मांग बढ़ रही है दूसरी ओर भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। नदी क्षेत्र में भूजल का स्तर नदी के तल स्तर से नीचे चले जाने से नदियों में आने वाले पानी का चक्र समाप्त हो रहा है, इससे नदियां सूखने लगी हैं।

पहले नदियां सदानीरा हुआ करती थीं, लेकिन अब छोटी और सहायक नदियां तो बारिश के कुछ महीनों बाद ही सूख जाती हैं। सहायक नदियों के जल के अभाव का प्रभाव बड़ी नदियों पर भी पड़ रहा है। यह एक चिंताजनक स्थिति है। मध्यप्रदेश शासन ने नदियों को निरन्तर प्रवाहमान बनाये रखने के लिये नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम बनाया है।

नदियों में बारह महीने पानी रहे, सतत् प्रवाह बना रहे इसके लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी नरेगा नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम शुरू किया है। नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम में नदी प्रवाह को अविरल बनाने के लिए नदी कछार क्षेत्र में जल संरक्षण-संवर्धन के कार्य किये जायेंगे, जिसमें बारिश का पानी भूतल तक पहुंचेगा, नदियों का जल समृद्ध होगा और नदियों में जल प्रवाह निरन्तर बना रहेगा।

वर्तमान में नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम 36 जिलों में 40 चयनित नदियों पर शुरू किया जा रहा है। इन नदियों की लम्बाई 2192 किलोमीटर तथा नदियों का कैचमेंट क्षेत्रफल 21.29 लाख हेक्टेयर है। इस क्षेत्र में 1863 ग्राम पंचायतों के 3621 ग्राम शामिल हैं। इस कार्यक्रम में नदियों के कैचमेंट में भूजल संवर्धन तथा जल संग्रहण के कार्य किये जायेंगे। साथ ही नदी जल को निरन्तर रखने के लिए ग्रामीणों के साथ मिलकर जल प्रबंधन को लेकर भी कार्य किया जायेगा।

नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम तभी सार्थक होगा जब पंचायती राज अमला, ग्रामीण समाज और समाजसेवी संस्थान मिलकर कार्य करें और जल संरक्षण, संवर्धन तथा प्रबंधन में सहभागी बने।

उम्मीद है कि शासन प्रशासन का यह प्रयास निश्चित ही सफल होगा। पंचायिका का यह अंक नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम पर केन्द्रित है। इसमें नदी पुनर्जीवन की परिकल्पना, उद्देश्य, कार्यों की रूपरेखा तथा चयनित नदियों का विवरण और प्रशासकीय आदेश सहित सम्पूर्ण जानकारी प्रकाशित की जा रही है।

शेष स्तम्भ, ख़ास ख़बरें, संक्षिप्त ख़बरें, नवाचार आदि यथावत हैं। आपके मार्गदर्शन के लिये हर बार की तरह इस बार भी शासकीय आदेश पंचायत गजट में प्रकाशित किये जा रहे हैं।

नदी पुनर्जीवन पर केन्द्रित पंचायिका का यह अंक आपके लिए उपयोगी भी रहेगा और संग्रहणीय भी।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।


(संदीप यादव)

आयुक्त, पंचायत राज

नदी का संरक्षण : जल प्रवाह में ही जीवन

मध्यप्रदेश सरकार ने जल के संरक्षण की एक विस्तृत योजना बनाई है। इसके अंतर्गत नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन की योजना बनाई है। जल संकट और नदियों के दम तोड़ने वाले ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश में जहां हजारों स्थानीय नदियां और तालाब दम तोड़ चुके हैं वहीं मध्यप्रदेश में नदियों का आंकड़ा तीन सौ के पार और सूखकर समतल होने वाले तालाबों की संख्या चार हजार से ऊपर बताई जाती है। इस दिशा में विस्तृत खोज होना बाकी है, जिसका काम सरकार ने शुरू कर दिया है।

जल का संरक्षण और उसके वितरण की विस्तृत और व्यापक व्यवस्था हो, यह काम सरकार की प्राथमिकता में है इसीलिए एक तरफ यदि जल के अधिकार की नीति बनाई है तो दूसरी ओर नदियों और तालाबों के व्यापक संरक्षण की। यदि जल स्रोतों का संरक्षण नहीं होगा तो लोगों को पानी कैसे मिलेगा लोगों को यदि पानी नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे बचेगा। न केवल मनुष्य का अपितु प्राणी मात्र का जीवन जल पर ही तो निर्भर है। प्रकृति ने जीवन के लिए भरपूर पानी उपलब्ध कराया था। लेकिन वह खत्म हो रहा है। अगर पानी खत्म हुआ तो जीवन खत्म हो जायेगा। इसीलिए भारतीय जीवन में नदियों का महत्व है। उन्हें माता के समकक्ष दर्जा है। अब मध्यप्रदेश सरकार ने वही संकल्प दोहराया है।

इन दिनों बहुत सुन्दर एक वाक्य प्रचलन में है- 'जल ही जीवन है।' निःसंदेह जल के बिना जीवन संभव ही नहीं। न प्राणी का और न प्रकृति का। मनुष्य ने सौर मंडल के अनेक ग्रहों पर दस्तक दी है। चांद पर, मंगल पर। इनके अतिरिक्त बृहस्पति और बुध ग्रह का भी जायजा लिया है लेकिन वहां पानी नहीं है। इसलिए जीवन की संभावना शून्य



है। धरती पर जीवन इसलिए फला-फूला कि यहां तीन गुना पानी है। एक हिस्सा धरती और तीन हिस्सा पानी। धरती की तुलना में दो गुना पानी तो दिखता है, समन्दर में, नदियों में, तालाबों में। जबकि एक हिस्सा अदृश्य है वह 'आर्द्रता' के रूप में, बादलों के रूप में। हवा के हर कण में जल है। इसीलिए धरती पर जीवन ने उछालें भरीं। भारतीय वाङ्मय में 84 लाख प्रकार के जीवन का उल्लेख मिलता है जबकि विज्ञान ने 80 लाख तक खोज लिया है। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों का जीवन जल पर ही निर्भर है। लेकिन अब जल पर संकट है, तो जीवन पर संकट स्वमेव

होगा। निःसंदेह जल का केन्द्र महासागर है। वहीं से पानी बादलों में जाता है और वर्षा के रूप में धरती पर। जो फिर अलग-अलग तरह से दोबारा महासागर में। महासागर के जीवों को पानी भले महासागर से मिले लेकिन धरती के जीवों को जल नदियों से मिलता है ये नदियां ही हैं जो न केवल तालाबों और कुओं में जल के स्तर को बनाए रखती हैं बल्कि भूमिगत जल के संतुलन को बनाकर रखने वाली भी नदियां ही हैं। लेकिन अब नदियों का जीवन संकट में है। नदियां तीन प्रकार की हैं। एक सदान्तरा जिसमें मध्यप्रदेश की नर्मदा, बेतवा, चंबल जैसी नदियां हैं। दूसरी

विशेष लेख

स्थानीय हैं जिसमें ताप्ती, गंभीर, क्षिप्रा, पार्वती, धौंस आदि नदियां मानी जाती हैं। तीसरी बरसाती नदी जिनमें बरसात के बाद धार आती है और लगभग दीपावली के आसपास तक रहा करती थी, अब मध्यप्रदेश में एक भी बरसाती नदी नहीं दिखती। आज की पीढ़ी को पता भी नहीं है कि कभी विदिशा जिले में 'नक्टी', फगवाई या इंदौर जिले में कैचला भी नदियां हुआ करती थीं। अनुमान है ऐसी नदियां लगभग गायब हो चुकी हैं। जो हालत कभी बरसाती नदियों की हुआ करती थी वह अब स्थानीय नदियों की हो गई। दीवाली बाद इनकी धार टूटना शुरू होती है और जनवरी-फरवरी तक

जो धीरे-धीरे रिसकर नदियों में पहुंचता था और यही रिसाव कुओं और तालाबों में जल स्तर को नियंत्रित करता था। लेकिन अब क्रेशर ने पहाड़ों को काट दिया। विकास की तेज रफ्तार ने जंगल और पेड़ों का मानों विनाश कर दिया। इनके विनाश का मतलब नदियों के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लग जाना। जो अब लग गया है।

हम आज विज्ञान का और विकास का बहुत दावा करते हैं। आधुनिक ज्ञान होने की भी बात करते हैं। हो सकता है यह सही भी हो। लेकिन नदियों के वर्तमान दृश्य की हालत को देखकर लगता है कि भारत के पुरातन काल के

बहुत दूर की बात है। नदियों की ओर देखकर या उसके किनारे नित्यक्रिया करने को भी प्रतिबंधित किया था। यदि आवश्यक हो तब भी नदी से पच्चीस हाथ दूर जाकर करना, ऐसा निर्देश है। नदियों का आदर भूल न जाएं इसलिए मंत्र बनाए गए। निर्देश दिया कि प्रतिदिन स्नान के साथ इन मंत्रों का जाप करना। तब नदियां कितनी समृद्ध रही होंगी कि मध्यप्रदेश की नर्मदा, चंबल जैसी नदियों में जलयान चला करते थे लेकिन अब तो नौका चलाना भी मुश्किल है।

यदि यही स्थिति रही। नदियों के अस्तित्व का इसी तरह हास होता रहा तो भविष्य कितना भयावह होगा इसकी



तो वे यहां-वहां प्रदूषित जल के संग्रह के रूप में ही दिखती हैं। हालत यह है कि इस साल नर्मदा में अपने उद्गम से लगभग सौ किलोमीटर तक धार टूट गई थी। चंबल में भी और बेतवा में तो अक्सर ऐसा होने लगा। सवाल उठता है कि नदियों में पानी कहां से आता था जो अब नहीं आता। जितना पानी बरसात से सीधा नदियों में आता है लगभग उतना ही पानी धरती पर संकलित स्रोतों से धीरे-धीरे बहकर नदियों में आता है। पहले पहाड़ हुआ करते थे, वहां पेड़ थे, ऊबड़-खाबड़ धरती थी, पानी पेड़ों की जड़ों में संकलित होता था। पहाड़ या ऊंचाई पर बने गड्ढों में जमा होता था,

मनीषी जीवन के अस्तित्व और उसकी रक्षा के बारे में हमसे ज्यादा जानते थे। इसलिए उन्होंने गांव और नगर नदियों के किनारे बसाए और नदियों की हिफाजत करने की बात कदम-कदम पर की।

भारत में चार वेद और अठारह पुराणों का वर्णन आता है। इसके अतिरिक्त श्रीमद्भागवत और गीता में भी जलसंरक्षण का वर्णन है। इनमें से कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें जल के संरक्षण का वर्णन न हो। नदियों को आदर देने की बात न हो। नदियों को माता कहा, पूजनीय कहा। नदियों में गंदगी मिलाना या सीवेज के पाइप लाइन को जोड़ना तो

कल्पना मात्र से जीवन सिहर उठता है। मध्यप्रदेश सरकार ने इसी का आंकलन किया और भविष्य के खतरे को गंभीरता से लिया तथा नदियों को सुरक्षित संरक्षित करने का अभियान हाथ में लिया। इसमें प्रारंभिक तौर पर प्रदेश के 36 जिलों में यह अभियान चलेगा और 40 नदियों का चयन किया गया है जिनकी कुल लंबाई 2192 किलोमीटर है। इस काम को सरकार समन्वित करेगी तथा पंचायतें, सामाजिक संस्थाएं तथा जागरूक नागरिक भी सहभागी होंगे। अभियान कुल 3621 ग्रामों में चलेगा जिसमें 1863 पंचायतें सहभागी होंगी।

● डॉ. विद्या शर्मा



जल संरक्षण और संवर्धन की पहल

नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम

नदियां जीवनदायिनी हैं। समाज की प्राण शक्ति हैं। भारत में नदी तट पर कई संस्कृतियों का जन्म हुआ। नदियां ही पूर्व के निर्माण तथा वर्तमान और भविष्य का आधार हैं। नदियां ही अन्न, जल, पोषण, धरती और मिट्टी का संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, जैव सुरक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की संभावनाओं को संपुष्ट करती है।

मध्यप्रदेश में हम नदियों के प्रवाह को देखें तो नदियों में उपलब्ध पानी बारिश के दौरान बहने वाला पानी है। यह पानी वर्षा जल से प्राप्त होता है। बारिश के बाद नदियों में जल सतह से पानी आना समाप्त हो जाता है। असल में वर्षा ऋतु के बाद नदियों में आने वाला पानी नदी के कछार क्षेत्र के भूगर्भीय स्तर से रिसकर आता है। वही पानी नदी में आने वाला बेस फ्लो है।

यह तो नदियों का प्राकृतिक जल प्रवाह है लेकिन बदलते परिदृश्य में नदियों के इस प्रवाह में रुकावट

आयी है। नदियों के प्रवाह में होने वाले विखण्डन का मुख्य कारण नदियों के कछार अथवा कैचमेंट क्षेत्र में सतही और भूजल में असंतुलन की स्थिति है। इस असंतुलन का कारण है भूजल का अत्यधिक दोहन, जल संरक्षण और जल संवर्धन का न होना और वृक्षों के

आवरण में कमी होना है। इससे धरती का जल स्तर नदियों के तल से नीचे चला जाता है जिससे नदियों का बेस फ्लो समाप्त हो जाता है। यही वजह है कि प्रदेश की सहायक नदियां तो बारिश के बाद सूख ही जाती हैं और बड़ी नदियों में सहायक नदियों के सहयोग के अभाव में बड़ी नदियां भी सूखने लगी हैं।

वर्षा ऋतु में बारिश के पानी से नदी कछार का भूगर्भीय स्तर रिचार्ज हो जाता है और भूजल का स्तर बढ़ने लगता है। भूजल स्तर के बढ़ने से नदियों में जल का प्रवाह बढ़ जाता है। इस तरह बेस फ्लो पर नदी का प्रवाह अवलम्बित है और नदी के प्रवाह पर समाज का जीवन।

इस तरह वर्षाऋतु में भूतल के पानी का स्तर बढ़ने से नदी के जल स्तर में बढ़ोत्तरी होती है और वर्षाऋतु के बाद भूतल के पानी का नदी तल से नीचे चले जाने पर नदियां सूखने लगती हैं। यह क्रम निरन्तर चलता रहता है।

नदी पुनर्जीवन के तहत नदियों के चयन का आधार

- ऐसी नदी जिसका प्रवाह जिले तक सीमित है।
- ऐसी नदी जो वाटरशेड एटलस के आधार पर वर्गीकृत पांचवीं अथवा अग्रिम इकाई है।
- ऐसी नदी जिसके कैचमेंट अथवा कछार में ऐसी पारगम्य व अपरदित चट्टानें हैं, जिसमें भूजल धारण एवं प्रवाह की क्षमता है।
- ऐसी नदी जिसका जल सामान्य से मध्यम है।

नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम में कुल 36 जिलों में 40 नदियां चयनित की गई हैं। इन 40 नदियों की लम्बाई 2 हजार 192 किलोमीटर तथा नदियों के कैचमेंट का क्षेत्रफल 21.29 लाख हेक्टेयर है। इस क्षेत्र में एक हजार 863 ग्राम पंचायतों के 3 हजार 621 गांव शामिल हैं।

यदि वर्षाकाल के बाद भी नदियों में पानी को प्रवाहमान रखना है। नदियों को सदाने का बनाना है तो नदी कछार के भूजल का स्तर नदी तल के ऊपर तक पहुंचाना होगा। इसके लिए नदियों के कछार में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार ने नदियों के संवर्धन के लिए नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम बनाया है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने वचन पत्र में नदियों एवं जल स्रोतों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम लागू करने का वचन दिया था, जिसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण किया जा रहा है। आयोजना के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिन नदियों का पानी सूख जाता है उन्हें चिन्हित कर पुनर्जीवन पर कार्य शुरू कर दिया है। नदियों के कछार क्षेत्र में भूजल के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य किये जायेंगे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में नदी संरक्षण संवर्धन की दिशा में वैज्ञानिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक सभी पक्षों को समाहित करते हुए सुव्यवस्थित रणनीति तैयार की गयी है। जिसे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के तहत जिला, विकासखण्ड तथा पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किया जायेगा।

● प्रस्तुति : हेमलता हुरमाड़े



नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम के लिए बढ़ते कदम

नदियों में जल को निरन्तर प्रवाहमान बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम शुरू कर दिया है इसके लिए जिला व जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपा गया है। कार्यक्रम की सम्पूर्ण रणनीति तैयार कर विभाग द्वारा जनपद व जिला स्तर पर आयोजना सौंपी गयी है। इस कार्यक्रम में कुल 36 जिलों की 40 नदियों को शामिल किया गया है।



मध्यप्रदेश में सरकार ने नदियों के पुनर्जीवन के कार्यक्रम की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी है। नदियों में जल को निरन्तर प्रवाहमान बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम शुरू कर दिया है इसके लिए जिला व जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपा गया है। कार्यक्रम की सम्पूर्ण रणनीति तैयार कर विभाग द्वारा जनपद व जिला स्तर पर आयोजना सौंपी गयी है। इस कार्यक्रम में कुल 36 जिलों की 40 नदियों को शामिल किया गया है।

जिला स्तर पर कार्यक्रम को संपूर्ण स्वरूप में क्रियान्वयन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए जिला परियोजना अधिकारी और सीनियर डाटा मैनेजर “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम के लिए चयनित जल संरक्षण व भूजल संवर्धन कार्यों की योजना के प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं के अनुरूप समयबद्ध प्रशासकीय स्वीकृतियां लेंगे। वे कार्यक्रम के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए नियमित देखरेख भी करेंगे।

कार्यपालन यंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न

नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम

जिले : 36

चयनित नदियां : 40

चयनित नदियों की कुल लंबाई

किलोमीटर : 2191

चयनित नदियों के कैचमेंट का क्षेत्रफल : 21.29 लाख हेक्टेयर

सम्मिलित कुल ग्राम पंचायतें : 1863

सम्मिलित कुल ग्राम : 3612

तकनीकी पहलुओं पर मार्गदर्शन देंगे तथा “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम के लिए कार्यान्वित ही रहे जल संरक्षण व भूजल संवर्धन कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चयनित कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियां समय-सीमा में जारी हों और इस प्रक्रिया में विलंब न हो।

जिला तकनीकी विशेषज्ञ तथा जिला परियोजना समन्वयक (वाटरशेड) “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम के लिए जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कार्यों का वाटरशेड के सिद्धांत के आधार पर चयन, आयोजना तथा तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप इन कार्यों के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन और परिणामों का नियमित परीक्षण तथा सप्ताह में दो दिन क्षेत्र भ्रमण द्वारा भी देख-रेख करेंगे और नियमित रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत करेंगे। “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम में महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़ने की रणनीति है। अतः जिला परियोजना अधिकारी आजीविका मिशन समन्वय करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए विकासखण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नोडल अधिकारी होंगे।

विकासखण्ड स्तर पर : महात्मा गांधी नरेगा योजना के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम के लिए चयनित जल संरक्षण व भूजल संवर्धन कार्यों की योजना के प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं के अनुरूप



समयबद्ध प्रशासकीय स्वीकृतियां सुनिश्चित करेंगे। वे कार्यक्रम के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए लगातार देख-रेख भी करेंगे।

सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम के लिए चयनित जल संरक्षण व भूजल संवर्धन कार्यों के लिये कार्यक्रम की तकनीकी स्वीकृतियां समय-सीमा में जारी करेंगे। वे तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप इन कार्यों के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन और परिणामों का नियमित परीक्षण तथा निगरानी करेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नदी के कैचमेंट के क्षेत्रफल तथा सम्मिलित ग्राम

पंचायतों की संख्या के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में वाटरशेड परियोजनाओं के विकासखण्ड समन्वयक तथा विकासखण्ड अभियंता और महात्मा गांधी नरेगा के उपयंत्रियों को शामिल कर जनपदवार-दलों का गठन किया जाएगा।

तकनीकी दलों के प्रमुख दायित्व

- नदी कैचमेंट के माइक्रोवाटरशेड में आधारभूत जानकारी और आंकड़ों के संकलन और सरप्लस रन-ऑफ की गणना करना।
- नदी के कैचमेंट के माइक्रोवाटरशेड में भ्रमण कर नेटप्लान और सर्वेक्षण करना।

जल संरक्षण-संवर्धन के लिए किए जाने वाले कार्य

- कंटूर ट्रेंच एकल कार्य अथवा वानस्पतिक बंधान के साथ
- गली प्लग, लूज बोल्टर चेक
- कंटूर बोल्टर वाल
- गेबियन संरचना
- पड़त भूमि, गैर कृषि भूमि पर वृक्षारोपण
- भूजल संवर्धन के कार्य जैसे परकोलेशन तालाब, कुओं का रिचार्ज, अंडरग्राउंड ड्राईक, रिचार्ज पिट, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज कूप इत्यादि।
- चैकडेम, स्टाप डेम
- तालाब
- खेत तालाब
- मेढ़ बंधान

प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड में कार्यों का चयन इन्टेन्सिव मोड में इतनी मात्रा में किया जायेगा कि उनमें माइक्रोवाटरशेड के सरप्लस रन-ऑफ के पानी की अधिक से अधिक मात्रा का संग्रहण किया जा सके। चयन के पश्चात् प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड के प्रत्येक जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन कार्य के लिए तय किये गये निर्माण स्थल के डायमेंशन (परिमाण) को ध्यान में रखकर तकनीकी दलों द्वारा लोकेशन स्पेसिफिक ड्राइंग व डिजाइन और प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे ताकि निर्मित संरचना परिणाममूलक हो।

सभी तकनीकी दलों द्वारा माइक्रोवाटरशेड की आयोजना तैयार की जायेगी। इस योजना में माइक्रोवाटर शेड की आधारभूत जानकारी, आंकड़ों और प्रत्येक चयनित जल संरक्षण तथा भूजल संवर्धन के कार्यों का विवरण- मात्रा-संख्या, ड्राइंग-डिजाइन, प्राक्कलन, लागत, जीओ कोर्डिंग तथा आउटकम सम्मिलित किया जायेगा। सभी माइक्रोवाटरशेडों की योजना को समेकित कर संपूर्ण नदी के पुनर्जीवन की डी.पी.आर. आयोजना को अंतिम रूप दिया जायेगा। चयनित कार्यों का क्रियान्वयन होने पर प्राप्त फीड-बैक के आधार पर तथा नवीन तकनीकी एवं वैज्ञानिक इनपुट जैसे : रिमोट सेंसिंग आंकड़ों के निष्कर्ष इत्यादि के आधार पर इस आयोजना में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जा सकेगा।

- नदी के कैचमेंट के माइक्रोवाटरशेड में वाटरशेड के रिज टू वैली सिद्धांत के आधार पर जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कार्यों का इंटेंसिव मोड में चयन तथा इनके निर्माण स्थल का निर्धारण।
- नदी कैचमेंट के माइक्रोवाटरशेड के जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कार्यों की आयोजना तैयार करना।
- स्वीकृत जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी को तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग देना।
- जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कार्यों का तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त क्रियान्वयन के लिए सतत अनुश्रवण व पर्यवेक्षण करना।
- कार्यों में विलंब व अन्य कठिनाई

के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को तत्काल सूचना देकर कठिनाईयों का निराकरण कराना।

- कार्यों के चयन, आयोजना तथा क्रियान्वयन में तकनीकी कठिनाईयों के संबंध में सहायक यंत्री को अवगत कराकर निराकरण कराना।

नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम की योजना

“नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम की विस्तृत योजना बनाने के लिए नदी के कैचमेंट अथवा कछार के प्रत्येक माइक्रोवाटर शेड में इंटेंसिव मोड में क्रियान्वित किये जाने वाले जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन के कार्यों की योजना बनाई जायेगी। क्षेत्र की सभी आयोजनाओं को एकत्र कर नदी पुनर्जीवन पर योजना का निर्माण होगा। चयनित नदी और इसके कैचमेंट के ड्रेनेज तथा माइक्रोवाटरशेडों का नक्शा, जियो रिफरेन्स नक्शा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को उपलब्ध कराया गया है। इस नक्शे को टोपोग्राफी पर सुपरइम्पोज कर कैचमेंट के ग्रामों एवं अन्य फीचर्स को चिह्नित किया जा सकता है। तकनीकी दलों द्वारा सर्वप्रथम चयनित नदी के कैचमेंट के प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड के सरप्लस रन-ऑफ की गणना की जायेगी ताकि यह तय किया जा सके कि इस माइक्रोवाटरशेड से बरसात का कितना पानी संरक्षण के अभाव में बहकर बाहर चला जा रहा है। तत्पश्चात् तकनीकी दलों द्वारा माइक्रोवाटरशेडों में भ्रमण कर नेट प्लान और सर्वेक्षण किया जायेगा। वे इस नेट प्लान तथा सर्वेक्षण के दौरान प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड की स्थानीय विशिष्टताओं व तकनीकी पैरामीटर (स्लोप, टोपोग्राफी, हाइड्रोजीओलॉजी, रन-ऑफ इत्यादि) को ध्यान में रखकर तथा वाटरशेड के रिज-टू-वैली के सिद्धांत के आधार पर आवश्यक और उपयुक्त कार्यों का चयन किया जायेगा। कार्यों का चयन निर्माण स्थल के आधार पर होगा।

● प्रस्तुति : विजय देशमुख

नदी कछार में जल संरक्षण और संवर्धन

मध्यप्रदेश में नदियों में आने वाला पानी उसके कछार क्षेत्र से आने वाला जल होता है। यहाँ की नदियाँ सदानीरा तभी हो सकती हैं, जब इसका कछार क्षेत्र जल से समृद्ध हो, सघन पेड़-पौधों के साथ समुचित भूजल स्तर हो, तभी नदियों में निरन्तर प्रवाह बना रहेगा। लम्बे समय से पानी के अनियंत्रित दोहन ने नदी कछार के भूजल स्रोतों और जल स्रोत की श्रृंखला को विखण्डित कर दिया है। इससे कई छोटी-बड़ी नदियाँ बरसात के कुछ महीनों बाद ही सूख जाती हैं।

पानी के अभाव में जहाँ फसल उत्पादन प्रभावित होता है वहीं पीने के पानी की उपलब्धता कम हो रही है।

नदियों के सूखने और निरन्तर प्रवाह के अवरोध को दूर करने के लिए ही मध्यप्रदेश सरकार ने नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम शुरू किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा के माध्यम से प्रदेश की नदियों को अविरल बनाने के लिए समग्र स्वरूप में कार्य किया जा रहा है। प्राकृतिक, पर्यावरणीय, तकनीकी और वैज्ञानिक आधार पर नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कछार क्षेत्र में जल संरक्षण और जलसंवर्धन कार्य किये जाने की आयोजना बनायी गयी है। इस कार्य में पंचायत राज व्यवस्था और पंचायत राज अमले की महती भूमिका रहेगी। जल संरक्षण कार्यों के

क्रियान्वयन से परिणाम तक पहुँचने में पंचायती राज अमला साथ चलेगा।

इस आलेख के माध्यम से कछार क्षेत्र में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए किये जाने वाले कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी समाहित की जा रही है। नदी कछार क्षेत्र में जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिये किये जाने वाले कार्यों में स्टेगर्ड कन्टूर ट्रेन्च, कन्टीन्युअस कन्टूर ट्रेन्च, लूज बोल्टर चैक, गेबियन संरचना, परकोलेशन टैंक, जल संग्रहण, तालाब, खेत तालाब व फॉर्मपौण्ड, मेढ़ बंधान सह ट्रेंच, कुआं रिचार्ज संरचना, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज कूप, भूमिगत डाईक, चैकडेम अथवा स्टापडेम आदि शामिल है।

● प्रस्तुति : रीमा राय



स्टेगर्ड कन्टूर ट्रेन्च

कन्टूर ट्रेन्च पानी की गति कम करता है, मिट्टी का कटाव रोकता है, मिट्टी की नमी बढ़ाता है और वर्षा जल को संग्रहित कर परकोलेशन से भूजल में वृद्धि करता है इसीलिए कन्टूर ट्रेन्च का निर्माण किया जा रहा है।

कन्टूर की रेखा पर बनाई गई खंती को कन्टूर ट्रेन्च कहते हैं। कन्टूर ट्रेन्च का लेवल एक समान होने से बहता पानी उसमें भर कर ठहर जाता है। जल संरक्षण, संवर्धन के लिए यह एक

सरल और कम लागत वाला उपाय है।

कैसे करें स्टेगर्ड कन्टूर ट्रेन्च का निर्माण

- कन्टूर ट्रेन्च बनाने के लिए 10% से 25% ढाल वाला रिज क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है।
- दो ट्रेन्चों के बीच परस्पर दूरी वर्षा की मात्रा और जमीन के ढलान पर निर्भर करती है। ज्यादा वर्षा एवं ज्यादा ढलान होने पर परस्पर दूरी कम होती जाती है।
- कन्टूर ट्रेन्चों के बीच सीधे अन्तराल को 1 मीटर निश्चित

करना चाहिए।

- अधिक ढलान वाले क्षेत्र में ट्रेन्च पास-पास होने चाहिए, लेकिन 10 मी. से पास नहीं हो। ध्यान रहे कम ढलान पर ट्रेन्च दूर-दूर रहे, लेकिन 30 मी. से दूर नहीं हो।
- ट्रेन्च की मिट्टी को डाउन स्ट्रीम में डालकर काम्पेक्शन करना चाहिए।
- ट्रेन्च की मिट्टी पर बारिश से पहले घास तथा वानस्पतिक आवरण के लिए पौधों के बीज लगाना चाहिए।
- छोटे आकार और उथली कन्टूर ट्रेन्च से विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता



है।

- जहां गहन वनस्पति हो वहां ट्रेन्च खोदें।
- निर्माण पूर्व ए-फ्रेम का उपयोग कर कन्टूर लाईन अवश्य डालना चाहिए।
- जहां औसत वर्षा 750 मि.मी. से कम हो वहां ट्रेन्च का न्यूनतम माप : लम्बाई- 3.00 मी. गहराई- 1.00 मी. एवं चौड़ाई- 0.75 मी. ली जाना उचित होता है।
- जहां औसत वर्षा 750 मि.मी. या इससे अधिक हो, वहां ट्रेन्च का न्यूनतम माप : लम्बाई - 3.00 मी. गहराई- 1.00 मी. एवं चौड़ाई- 1.00 मी. ली जाना उचित होता है।
- कन्टूर ट्रेन्च की खुदी हुई मिट्टी को ट्रेन्च डाउन स्ट्रीम में 20 से.मी. नीचे डाला जाना चाहिए।

कन्टीन्युअस कन्टूर ट्रेन्च

खंती के सबसे निचले हिस्से से पानी के बहाव को रोकने और नाली बनने के खतरे से बचाव के लिए निर्माण पूर्व सटीक कन्टूर लाइन डालना अनिवार्य है।

कैसे करें कन्टीन्युअस कन्टूर ट्रेन्च का निर्माण

- सुरक्षा की दृष्टि में कन्टीन्युअस

कन्टूर ट्रेन्च निर्माण के दौरान प्रति 25 से 30 मीटर पर 0.5 से 1 मीटर का स्थान बिना खुदाई के छोड़ना चाहिए।

- कन्टीन्युअस कन्टूर ट्रेन्च की गहराई - 1.00 मी., चौड़ाई - 1.00 मी. एवं लम्बाई - उपलब्ध क्षेत्र अनुसार रखी जाये।
- ट्रेन्च की मिट्टी को डाउन स्ट्रीम में डालें व काम्पेक्शन करायें।
- ट्रेन्च की मिट्टी पर वर्षा पूर्व घास तथा वानस्पतिक आवरण के लिए पौधों के बीज लगाना चाहिए।

लूज बोल्टर चेक

लूज बोल्टर चेक प्रथम ऑर्डर की

नाली में बहने वाले पानी की गति को कम करता है, डाउन स्ट्रीम में निर्मित संरचनाओं में सिल्टेशन कम करता है और भूमि कटाव में कमी लाता है।

कैसे करें लूज बोल्टर चेक का निर्माण

- बोल्टर चेक का निर्माण सीरिज में किया जाना चाहिए। दो बोल्टर चेक के बीच वर्टिकल इन्टरवल बोल्टर चेक की ऊंचाई (अधिकतम 1 मीटर) के बराबर होना चाहिए। ताकि उससे रोका गया पानी ऊपर वाले चेक के तल तक पहुंचे। अर्थात ऊपर वाले चेक का बाटम एवं नीचे वाले चेक के टॉप का कन्टूर समान हो।
- 5% ढाल वाली नाली में वर्टिकल इन्टरवल 1 मीटर रखने पर दूसरे बोल्टर चेक की दूरी 20 मीटर होगी एवं 10% ढाल वाली नाली में वर्टिकल इन्टरवल 1 मीटर रखने पर दूसरे बोल्टर चेक की दूरी 10 मीटर होगी। दो बोल्टर चेक के बीच सीधी दूरी न्यूनतम 10 मीटर एवं अधिकतम 50 मीटर हो।
- नाली का तल रेत या मिट्टी का हो तो 25 सेंटीमीटर की नींव भी खोदें। चेक के टाप की चौड़ाई सामान्यतः 40 सेंटीमीटर रखें। पत्थर अथवा बोल्टर का आकार





22 सेंटीमीटर उपयुक्त है। यद्यपि स्थानीय उपलब्धता के आधार पर भी पत्थरों का चयन किया जा सकता है। किन्तु 15 सेंटीमीटर से छोटे और 1 किलोग्राम से कम वजन के पत्थर का उपयोग न करें। बड़े कोणीय पत्थरों को नीचे डाउन स्ट्रीम की ओर बाहरी सतह पर जमाएं और छोटे पत्थरों को अन्दर के हिस्से में जमाएं।

- चूंकि बोल्टर का विश्राम कोण अधिक होता है, अतः अपस्ट्रीम का स्लोप 1:1 और डाउन स्ट्रीम का स्लोप पानी की गति अनुसार 1:2 से 1:4 रखें।
- बोल्टर चेक के मध्य हिस्से को नीचा और किनारों को ऊँचा बनायें ताकि अधिक पानी मध्य से गुजरे और किनारों के कटाव का खतरा कम हो।
- बोल्टर चेक के दोनों किनारों से 50 सेंटीमीटर अन्दर तक खंती खोदकर पत्थरों को उचित तरीके से गाड़ देना चाहिए।

- जहां पत्थर आसानी से उपलब्ध न हों वहां बोल्टर चेक न बनाएं और कच्चे पत्थर जैसे चूना पत्थर, शेल पत्थर आदि का उपयोग न करें।

गेबियन संरचना

गेबियन संरचना पत्थर और तार से बना एक तरह का बांध है जिसमें तार की बुनी हुई जालियों में पत्थर जमाए जाते हैं। गेबियन संरचना नाली में बहने वाले पानी की गति को कम करता है, बहती मिट्टी को रोकता है, नदी में गाद का आना कम करता है, डाउन स्ट्रीम में निर्मित

जल संग्रहण संरचना में सिल्टेशन कम करता है, अधिक मात्रा में पानी जमीन में उतारकर भूजल रिचार्ज की गति में वृद्धि करता है और नाले के प्रवाह की अवधि में वृद्धि करता है।

कैसे बनाएं गेबियन संरचना

गेबियन संरचना हेतु स्थल चयन के दौरान ध्यान रखें कि जलग्रहण क्षेत्र कम से कम 5 हेक्टेयर हो, नाले के किनारे सुदृढ़ और ऊँचे हों।

- गेबियन संरचना निर्माण के लिए नाले में एक किनारे से दूसरे किनारे तक नींव खोदकर मुख्य दीवार को नाले के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बनाना चाहिए तथा मुख्य दीवार की ऊँचाई हर जगह समान रखी जाना चाहिए।
- गेबियन की सामान्य ऊँचाई 2 मीटर पर चौड़ाई 1 मीटर तथा अधिक ऊँचाई वाली दीवार को सीढ़ीनुमा बनायें। हर 1 मीटर पर एक पाया दें। हर कदम पर चौड़ाई 1 मीटर ही रखें।
- मुख्य दीवार को नालों के किनारों में पर्याप्त गहराई तक ले जायें।

मुख्य दीवार से 3 से 6 मीटर चौड़ाई तक पूर्ण लम्बाई में एग्रान का निर्माण किया जावे।

- गेबियन संरचना निर्माण के लिए 12 से 14 गेज की जालियों के 1 वर्गमीटर के आयताकार केज (बॉक्स) बनाकर उनकी आपस में इन्टर लिंकिंग कर संरचना तैयार करना चाहिए। केज को सीढ़ी पद्धति से जमाया जाये।
- कोणीय पत्थर अथवा बोल्टर जिनका आकार 22 सेंटीमीटर से कम न हो, उपयोग किये जायें। छोटे पत्थर का उपयोग गेप फिलिंग के लिये किया जाये। पत्थर को अच्छी तरह जमाया जावे।

परकोलेशन टैंक

परकोलेशन टैंक द्वारा अधिक से अधिक वर्षा जल का संग्रहण कर उसे जमीन में उतारकर भूजल वृद्धि कर डाउन स्ट्रीम के नाले में प्रवाह की अवधि बढ़ाई जा सकती है। परकोलेशन टैंक मिट्टी के बंधान बनाकर बनाये जाते हैं, जिनकी औसत जल भंडारण क्षमता 0.15 लाख घन मीटर से 0.60 लाख घन मीटर होती है, इन संरचनाओं में बांध की ऊँचाई 6.00 मीटर से 10.00 मीटर के अन्दर रहती है।

कैसे बनाएं परकोलेशन टैंक

- परकोलेशन टैंक के निर्माण के लिए स्थल चयन की दृष्टि से रिचार्ज या ट्रांजीशन जोन उपयुक्त है। निर्माण स्थल पर मृदा तथा नीचे के भूगर्भीय संस्तर पारगम्य होना चाहिए। तालाब का पर्याप्त कैचमेंट होना चाहिए। स्थल का परीक्षण अनुभवी इंजीनियर अथवा भू-जल विद् से कराएं। स्थल के आस-पास कुओं, बावड़ियों, हैण्ड पंप ट्यूबवेल आदि होने से आबादी को पीने के पानी अथवा सिंचाई का लाभ तुरंत मिल सकता है।
- मूलतः परकोलेशन टैंक से सीधे सिंचाई नहीं की जाती है अतः



सामान्यतः ऐसे बन्धानों में वेस्ट वेयर का निर्माण नहीं कराया जाता है। किन्तु सुरक्षा की दृष्टि से बाढ़ निकासी के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए, बाढ़ निकासी के लिए वेस्ट वेयर, स्पिल चैनल अथवा आवश्यकतानुसार ड्रॉप स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है।

जल संग्रहण तालाब

जल संग्रहण तालाब वर्षा जल को संग्रहित कर फसल को सुरक्षा सिंचाई उपलब्ध कराते हैं इससे फसलों की भूमिगत जल पर निर्भरता कम होती है। डूब क्षेत्र व नाले का तल अपारगम्य होने पर जल संग्रहण तालाब बनाये जाते हैं।

कैसे बनाएं जल संग्रहण तालाब

- बांध बनाने के स्थान के कैचमेंच का रन-ऑफ बांध की जल संग्रहण क्षमता के अनुरूप हो, न बहुत अधिक न बहुत कम। नाले के किनारे सुदृढ़ और पास-पास तथा ऊँचे होना चाहिए।

अपस्ट्रीम में जल संग्रहण क्षेत्र का ढाल 5% से अधिक न हो। नाले की चौड़ाई अपस्ट्रीम में जल संग्रहण क्षेत्र की ओर अधिक होने से जलसंग्रहण अधिक होता है। तालाब की न्यूनतम जल संग्रहण क्षमता 8000 घन मीटर हो। नाले की चौड़ाई बांध निर्माण स्थल पर कम से कम हो।

- तालाब निर्माण सामग्री (मिट्टी, मुरम, बोल्टर, पानी आदि) निर्माण स्थल के पास उपलब्ध हो।
- वेस्टवेयर हेतु जल निकासी का तल सुदृढ़ हो ताकि क्षरण न हो। निकास का तल पूर्ण जलाशय स्तर पर होता है। वेस्टवेयर की चौड़ाई एवं गहराई नाले के अधिकतम तल प्रवाह के सुरक्षित निकास पर आधारित हो। वेस्टवेयर का स्थान ऐसा हो कि कम से कम खुदाई करना पड़े। 50 हेक्टेयर से ज्यादा जलसंग्रहण क्षेत्र वाले बांधों की वेस्टवेयर पक्की बनाई जाना चाहिए।
- नाले के तल पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक 1 मीटर चौड़ाई वाली कड़क सतह तक गहरी पडल खोदें। आम तौर पर पडल की गहराई TBL का 25% रखी जाती है। पडल को दोनों किनारों के उस स्थान तक खोदना चाहिए जहां तक बांध की दीवार प्रस्तावित है। पडल को चिकनी मिट्टी के गोलों से 15 से 20 से.मी. मोटी परतों में कूट-कूट कर भर दें।
- पाल एक ही प्रकार की मिट्टी से बनाई जाये। पाल में मिट्टी को अच्छी तरह कूट कर (कम्पेक्शन) कर भरें। जहां चिकनी मिट्टी

सीमित मात्रा में उपलब्ध हो वहां बांध के बीचों-बीच चिकनी मिट्टी की अपारगम्य दीवार (corewall) खड़ी करें। अपारगम्य दीवार (corewall) की ऊपर परत पर दोनों ओर मुरम से केसिंग करने से रेन कट से बचाव रहता है और पाल को सुरक्षा मिलती है। पाल का निर्माण 30 से 50 सेंटीमीटर की परतों में करना चाहिए। प्रत्येक परत को पानी डालकर कुटाई करना चाहिए।

- पिचिंग एवं ग्रास टर्फिंग-पाल के अपस्ट्रीम में 15 से 30 सेन्टीमीटर के एक ओर से कोणीय तथा दूसरी ओर से समतल पत्थर से पिचिंग करना। डाउन स्ट्रीम में घास लगाकर मिट्टी कटाव रोकना चाहिए। बांध का Settlement-Allowance 10% से 25% का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- रॉक-टो बांध की सीपेज लाईन नीचे लाने के लिए बांध के डाउन स्ट्रीम में 30 से 35 सेन्टीमीटर मोटी रेत की छन्नी बनाई जाती है इसके और पीछे पत्थर का रिवर्स फिल्टर बनाया जाता है जिसमें सबसे पहले बारीक मिट्टी और लगातार अधिक खुरदरी मिट्टी और अन्ततः पत्थर बिछाए जाते हैं।



खेत तालाब तथा फॉर्मपौण्ड

खेत तालाब तथा फॉर्मपौण्ड निर्माण का मुख्य उद्देश्य खेत का पानी खेत में संग्रहित करना है। इससे जल का संग्रहण होता है।

कैसे करें खेत, तालाब तथा फॉर्मपौण्ड का निर्माण

- फॉर्म पौण्ड की साईज (लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई) इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसकी जल संग्रहण क्षमता न्यूनतम 3000-4000 घनमीटर हो ताकि सिंचाई के लिए भूमिगत जल पर निर्भरता कम से कम हो।
- स्थल चयन में चुटियां तथा अपेक्षित सामर्थ्य नहीं होने के कारण खेत तालाब अनुपयोगी रह जाते हैं और उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते। खेत की टोपोग्राफी तथा हार्डड्रोलाजी गुणधर्मों को ध्यान में रखकर फॉर्मपौण्ड के निर्माण के लिए स्थल चयन खेत के डाउन स्ट्रीम में उस हिस्से में किया जावे जहां रन-ऑफ के पानी के प्राकृतिक बहाव के फलस्वरूप अधिक से अधिक पानी आकार संग्रहित हो सके। स्थल चयन करते समय यह भी देखना होगा कि पूर्ण क्षमता तक फॉर्मपौण्ड में जल संग्रहण के लिए इसके अपस्ट्रीम में पर्याप्त

कैचमेंट उपलब्ध हो चयनित स्थल का स्ट्रेटा भी अपारगम्य (Impervious) होना चाहिए।

- खेत तालाब को खोदे जाने के पश्चात् इससे निकाली गई मिट्टी किनारों से लगभग 2 से 3 मीटर दूर जमा कर बण्ड बनाया जाये, खेत तालाब को खोदे जाने पर इसके साइड स्लोप की मिट्टी का कटाव एवं तत्पश्चात ड्रेसिंग ऐसे कोण पर किया जाये ताकि बरसात के समय साइड की मिट्टी कटकर अथवा बहकर तालाब में वापस न भर जाये, साइड स्लोप एवं ड्रेसिंग ट्रिपोजाईडल आकार में रखें। बण्ड के स्थायित्व के लिए वानस्पतिक आवरण का प्रयोग करें।
- बण्ड का काम्पेक्शन भी कराया जाये। इस बण्ड के स्थायित्व के लिए वानस्पतिक आवरण का भी प्रयोग किया जा सकता है खेत तालाब के इनलेट और आउटलेट तकनीकी रूप से सही होना चाहिए ताकि पर्याप्त पानी बहकर खेत में एकत्रित हो सके। इसके साथ ही खेत तालाब के इनलेट तथा आउटलेट पर बोल्टर से पिचिंग भी करा दी जाये।
- यदि कृषकों की जोत छोटी है तो 3-4 कृषकों के समूह बनाकर

इनके स्वामित्व की भूमि को पूल कर उपयुक्त स्थल पर उपयुक्त साईज के फॉर्मपौण्ड का निर्माण किया जा सकता है।

मेढ़ बंधान सह ट्रेन्च

मेढ़ बंधान सह ट्रेन्च भूमि कटाव रोकता है, खेतों में संतुलित नमी बनाये रखता है और भूमिगत जलस्तर में वृद्धि करता है।

कैसे करें मेढ़ बंधान

सह ट्रेन्च का निर्माण

- पाल बनाते समय पाल की ऊंचाई 75 से.मी., सेटलमेंट अलाउंस - 25% को आधार मानकर अप स्ट्रीम ढाल- 1:1 तथा डाउन स्ट्रीम ढाल- 1:1.5 रखा जाये। टाप की चौड़ाई- 20 से 30 सेन्टीमीटर हो। ढाल वाली भूमि पर निकास देना जरूरी रहता है। निकास पत्थर से बनाना चाहिए। पाल बनाने के लिए मिट्टी की (ट्रेन्च) खुदाई 10 मीटर लम्बाई तथा 1 मीटर चौड़ाई में की जाये प्रत्येक 10 मीटर बाद 1 मीटर का अन्तर छोड़ दें। इस प्रकार खंतियों की एक श्रृंखला बन जायेगी। जिसमें पानी संग्रहित होकर भू-जल स्तर में वृद्धि करेगा।

कुआं रिचार्ज संरचना

कुआं रिचार्ज संरचना से भूजल

नदी पुनर्जीवन

संसाधनों में वृद्धि के लिये वर्षा जल का संचयन कर गिरते भूजल स्तर को रोका जाता है।

कैसे बनाएं कुआं रिचार्ज संरचना

- कुआं रिचार्ज हेतु खेतों में वर्षा से प्राप्त जल को नालियों के माध्यम से डिसिल्टेशन चैम्बर में भेजा जाता है, जहां गाद तथा अन्य कण रुककर निक्षेपित हो जाते हैं। डिसिल्टेशन चैम्बर से प्राप्त जल को फिल्ट्रेशन चैम्बर में भेजा जाता है, जहां अशुद्धियों का प्रवाह रोका लिया जाता है।
- फिल्ट्रेशन चैम्बर से प्राप्त शुद्ध जल को डिलीवरी पाइप के माध्यम से

गुजारा जाता है। जहां जल के साथ आई अशुद्धियाँ छन कर दूर हो जाती है। फिल्ट्रेशन चैम्बर से शुद्ध जल की सप्लाई के लिए लगे डिलीवर पाइप को रिचार्जिंग डगवेल में जलस्तर के नीचे अथवा कुओं के तल तक लगाना चाहिए।

- डिसिल्टेशन चैम्बर अथवा फिल्ट्रेशन चैम्बर में अत्यधिक बारिश के समय प्राप्त ज्यादा जल को बाईपास प्रणाली के माध्यम से बाहर निकाला जाता है।
- उन्हीं कुओं को रिचार्ज किया जाये जिनमें वर्षाकाल में जलस्तर 3 मीटर की गहराई (जमीन सतह से)

उपयोग में लाये जा सकते हैं।

- वर्षा पूर्व रिचार्जिंग कूप की सफाई तथा गाद निकासी प्रत्येक वर्ष की जानी चाहिए। रिचार्ज के लिए प्रदूषण मुक्त जल जिसमें गोबर इत्यादि न हो, उपयोग में लायें। अत्यधिक ढलान तथा चट्टानी क्षेत्रों में स्थित कूपों को रिचार्ज हेतु उपयोग न करें।

रिचार्ज शाफ्ट

रिचार्ज शाफ्ट द्वारा भू-जल रिचार्ज किया जाता है यह खराब पारगम्य स्तर द्वारा आवृत्त एक्वूफर को रिचार्ज करने के लिए सबसे कुशल और लागत प्रभावी तकनीक है।

कैसे करें रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण


- तालाब, चैकडेम, नदी व नालों में रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण करके, अधिशेष जल को भूजल रिचार्ज हेतु उपयोग किया जा सकता है।
- रिचार्ज शाफ्ट हेतु बोर की गहराई का निर्धारण संबंधित एक्वूफर की गहराई के आधार पर होना चाहिए।
- स्थल का परीक्षण जिले में कार्यरत विकासखण्ड समन्वयक (ज्योलॉजी) द्वारा करवा लिया जावे।

रिचार्ज कूप

भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में खुले कुओं की प्रमुख भूमिका होती है। इसे नालों के प्रवाह क्षेत्र में भी बनाया जा सकता है। आवश्यक रिचार्ज कुओं की संख्या का निर्धारण पानी आवक की दर का निरीक्षण करके किया जा सकता है।

कैसे करें रिचार्ज कूप

- इसे उथले एक्वूफर तक खोदकर लगभग एक मीटर व्यास का और आर.सी.सी. के छल्ले से बनाया जा सकता है।
- सबसे पहले, प्राकृतिक जल निकासी प्रवाह नालियों की पहचान की जानी चाहिए। अगर वहाँ कोई प्रवाह नालियां नहीं हैं,



रिचार्जिंग डगवेल में भेजा जाता है।

- फिल्ट्रेशन चैम्बर का आकार 2x2x2 घनमीटर होता है। डिसिल्टेशन चैम्बर से प्राप्त जल मोटी बालू (1.5 to 2 mm) तथा बजरी (5 to 10 mm) की परतों

से अधिक न हो। रिचार्ज के लिये क्षेत्र की हायड्रोलॉजी एवं एक्वीफर की संरचना का अध्ययन कर लेना चाहिए। वर्तमान में उपयोगी और ऐसे कूप जिनमें कालान्तर में पानी रहता था, रिचार्ज के लिये



तब कृत्रिम जल निकासी चैनल बनाए जाने चाहिए।

- रिचार्ज कुओं को छिद्रित आवरण के साथ कवर करना चाहिए।
- पानी को कूप में साइड से या स्प्रे के रूप में धीरे-धीरे प्रवाहित होने देना चाहिए ताकि गाद के कारण कोई मंथन न हो और हवा के बुलबुले मिट्टी के प्राकृतिक छिद्रों को अवरुद्ध न कर सकें।

भूमिगत डाईक

भूमिगत डाईक मिट्टी का ऐसा बांध है जो जमीन के नीचे बहने वाले भूजल के प्रवाह को रोकता है। कई क्षेत्रों में भूजल प्रवाह नाला सूखने के बाद भी वर्ष के अधिकांश समय तक बना रहता है। भूमिगत डाईक इस पानी के प्रवाह को रोकता है। भूमिगत डाईक भूमिगत जल के प्रवाह को रोकते हुए उसे सतही प्रवाह के रूप में उपलब्ध कराता है, रुके हुए भू-जल से कुओं के जलस्तर को बढ़ाता है और नाले का प्रवाह अधिक समय तक जीवित रखता है।

कैसे करें भूमिगत डाईक का निर्माण

- भूमिगत डाईक के निर्माण के लिए स्थल चयन वहां करें जहां भूजल प्रवाह कम से कम जनवरी माह

तक रहता हो, जलपरत के कुछ नीचे कड़क चट्टान की परत हो, आस-पास कुएं या हैण्डपम्प हो और नाले का ढलान कम हो।

- भूमिगत डाईक नाले के प्रवाह के समकोण बनाना चाहिए।
- नाले के तल पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक 1.25 मीटर चौड़ाई वाली कड़क सतह तक गहरी पडल खो दें। पडल के निचले हिस्से की चौड़ाई 1.25 मीटर रखें। पडल में प्लास्टिक शीट भी बिछाई जा सकती है। पडल को चिकनी मिट्टी के गोलों से 15 से 20 से.मी. मोटी परतों में भर दें। गोलों को पैरों से चलकर रोंद कर कम्पेक्शन करें। पडल के आखरी 30 से.मी. में रेत, मुरम और छोटे पत्थर भर दें।
- डाईक बनाने के बाद नाले के तल पर बोल्टर चेक बनाने से भूजल रिचार्ज को डाईक और भी सशक्त करेगा।

चैकडेम अथवा स्टापडेम

चैकडेम अथवा स्टापडेम अधिक से अधिक वर्षा जल को संग्रहित कर सतही जल का संग्रहण करता है।

कैसे करें चैकडेम अथवा स्टापडेम का निर्माण

- न्यूनतम जलसंग्रहण क्षमता 6000-7000 घ.मी. होना चाहिए। नाले का बेस स्लोप 0.5% से अधिक न हो।
- चैकडेम की विंगवाल, की-वाल एवं टो-वाल स्थल अनुरूप वांछित आकार की ली जाना चाहिए।
- चैकडेम का फाउण्डेशन, निर्माण स्थल अनुरूप पूर्ण तकनीकी मापदण्डों का पालन कर तैयार किया जाना चाहिए।
- नाले के कर्व पर चैकडेम का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।
- नदी पुनर्जीवन के लिए चयनित नदियों के कैचमेंट के थर्ड ऑर्डर के नालों में श्रृंखलाबद्ध चैकडेम का निर्माण किया जाना प्रभावी होता है।
- चैकडेम के अप स्ट्रीम में नाला गहरीकरण के भी बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। अतः चैकडेम सह नाला गहरीकरण का कार्य श्रृंखलाबद्ध किया जाना उपयुक्त है।

मध्यप्रदेश में नदी पुनर्जीवन

बदलता परिदृश्य एक आंकलन

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किये गये नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम पर दृष्टि डालें तो इसके परिणाम भगीरथ प्रयास साबित हो सकते हैं। पूर्वकाल में नदियों की उत्पत्ति और बहाव को लेकर एक प्राकृतिक नियमन और चक्र रहता था। इस चक्र को बढ़ती जनसंख्या, मानव हस्तक्षेप और अत्यधिक दोहन ने बाधित कर दिया और इसी के परिणामस्वरूप नदियां सूखने लगीं।

प्रदेश सरकार नदियों के जीवन, उनके बहाव और कछार क्षेत्र के प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक आधार पर नदी पुनर्जीवन को अमल में लाने का प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि नदी पुनर्जीवन के लिए कछार क्षेत्र में जल संरक्षण, संवर्धन की पंचायत एवं ग्रामीण विकास

विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से चलायी जा रही इस आयोजना से अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। इन परिणामों का आंकलन हम विभिन्न स्तर पर कर सकते हैं।

धरती का भूजल स्तर बढ़ेगा

नदी पुनर्जीवन आयोजना के तहत स्टेगर्ड कन्टूर ट्रेन्च, कन्टीन्युअस कन्टूर ट्रेन्च, लूज बोल्टर चेक, गेबियन संरचना, परकोलेशन टैंक जल संग्रहण तालाब, खेत तालाब, फॉर्म पौण्ड, मेंढू बंधान सद्र ट्रेन्च, कुआं रिचार्ज संरचना, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज कूप, भूमिगत डाईक, चैकडेम और स्टापडेम आदि कार्य किये जायेंगे। नदी कछार में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए किये जाने वाले इन कार्यों से बारिश का पानी धरती के गर्भ में समाहित होगा।

बारिश का पानी धरती के भूतल में जाने से भूजल भंडार में वृद्धि होगी। भूतल में पानी की मात्रा बढ़ने से भूजल स्तर में सुधार होगा। जैसे ही भूजल भंडारों में वृद्धि होगी तो यह पानी कुओं और नदियों में आयेगा। नदी में भूतल से पानी आने से नदी का जल स्तर बढ़ेगा। जिससे नदी के बहाव की अवधि में वृद्धि होगी। नदी पुनर्जीवन के लिए किये जाने वाले प्रयासों से जहाँ नदियां जीवन्त रहेंगी। वहीं नदी कछार क्षेत्र में धरती में नमी बनी रहेगी। जिससे जंगल में वृक्षों की आयु बढ़ेगी और जंगल हरे-भरे हो जायेंगे। जिससे नदी के रायपरियन जोन समृद्ध होंगे और पुनः जैव विविधता बहाल होगी।

किसानों की आय में वृद्धि

मध्यप्रदेश सरकार किसानों की



आय बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने इस दिशा में प्रयास भी किये हैं। नदी पुनर्जीवन के माध्यम से प्राकृतिक संपत्ति के संरक्षण के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। जब नदियों में सदैव पानी रहेगा तो किसानों को पानी सुलभ रहेगा। पानी की उपलब्धता से फसलों को पानी प्राप्त होगा इससे कृषि उपज बढ़ेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। पानी के अभाव में जो किसान केवल एक फसल लेते थे। वे अब एक से अधिक फसलें ले सकेंगे और प्रतिवर्ष फसलों की संख्या में वृद्धि होगी। पहले पानी की कमी से उन्नत फसलों का उत्पादन संभव नहीं था अब किसान भाई फसलों की उन्नत किस्मों की पैदावार ले सकते हैं साथ ही स्थानीय फसलों की उपज में भी वृद्धि होगी।

पेयजल की उपलब्धता

ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में स्वच्छ जल को उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। नदी पुनर्जीवन से जल स्रोत रिचार्ज हो जायेंगे और क्षेत्र में पेयजल पहुँच संभव हो सकेगी।

सामुदायिक भागीदारी

कोई भी सुधार और बदलाव तभी संभव है जब समाज जुड़े, साथ चले और मिलकर काम करे। मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन के तहत लारखों की संख्या में स्व-सहायता समूह गठित किये गये हैं। यह समूह आजीविका के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। योजना के तहत इन आजीविका स्व-सहायता समूहों को जोड़ा गया है। इन समूहों के जुड़ने से लारखों की संख्या में महिलाएं जल संरक्षण और पर्यावरण हितैषी कार्यों से जुड़ेंगीं। आयोजना में क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। जिससे ग्राम स्तरीय नेतृत्व का विकास होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अमले द्वारा आयोजित प्रशिक्षण, बैठकों और प्रचार-प्रसार से लोग नदी संरक्षण के लिए संवेदनशील होंगे। ग्रामीणजन के नदी अविरलता को लेकर



होने वाले इस जुड़ाव से जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों में गुणात्मक वृद्धि होगी।

समृद्धि और विकास

नदी पुनर्जीवन के सफल प्रयत्नों से नदियां अविरल होंगी। जब नदियां सदानीरा रहेंगी तो सतही सिंचाई जल उपलब्ध रहेगा। इससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि और पेयजल की उपलब्धता रहेगी। धरती की नमी में वृद्धि होगी जिससे पर्यावरण सुधरेगा। नदियों की अविरल समृद्धि से क्षेत्र में निवासरत किसान समृद्ध होंगे और प्रदेश का हर गांव विकास और प्रगति की ओर अग्रसर होगा।

नदियों की अविरलता का आंकलन

प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किये गये नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम से निश्चित ही बदलाव आयेगा। जल संरक्षण, संवर्धन के प्राकृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, पर्यावरणीय प्रयासों से नदियों का जल स्तर बढ़ने की अपेक्षा है। जल स्तर बढ़ने से ही नदियां अविरल होंगी और बहाव निरंतर रहेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित यह कार्यक्रम आज की स्थिति और होने वाले परिवर्तन को लेकर सजग है, क्रियाशील है। इसीलिए विभाग ने जल संरक्षण, संवर्धन कार्यों से होने वाले प्रभाव और परिणामों के आंकलन को

लेकर चरणबद्ध योजना बनाई है।

प्रभावी आंकलन के लिए भूजल स्तर में होने वाले परिवर्तन को देखने के लिए प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड में रिज-टू-वेली क्रम में पांच-पांच कूप का चयन निर्धारित कर उनके जल स्तर निर्धारित तारीख में प्रतिमाह माप लिया जायेगा। कूप में जल स्तर का माप भूमि स्तर से जल स्तर तक लिया जायेगा। नदी के प्रवाह में परिवर्तन के तकनीकी आंकलन के लिये नदी के अंतिम बिन्दु पर व्ही. नाँच स्थापित कर नदी के प्रवाह की मात्रा और अवधि का सटीक आंकलन किया जायेगा। नदी प्रवाह की अवधि और मात्रा की जानकारी का संकलन संपूर्ण नदी के प्रवाह मार्ग के प्रत्येक 5 किलोमीटर पर संकलित किया जायेगा। इसके लिए नदी मार्ग पर स्थित सर्वाधिक जल उपलब्धता वाले स्थान के किनारों पर प्रतिमाह जल स्तर की माप का अभिलेख संधारित किया जायेगा। नदी कछार में जल संरक्षण और जल संवर्धन कार्यों के माध्यम से गणना नदी मेन्युअल में दिये गये सूत्रों के माध्यम से की जायेगी। नदियों के प्रवाह में वृद्धि और निरन्तरता से धरती की नमी में वृद्धि होगी। इससे क्षेत्र के जंगल की हरियाली में वृद्धि होगी। इसे जानने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जायेगा।

● प्रस्तुति : ज्योति राय

नदी पुनर्जीवन

मध्यप्रदेश की वे नदियां जो या तो सूख चुकी हैं अथवा जिनका पानी बारिश के कुछ दिनों बाद ही समाप्त हो जाता है। प्रदेश के 36 जिलों की ऐसी 40 नदियों को सदानीरा बनाने के लिए उन नदियों के कछार क्षेत्र में जल संरक्षण, संवर्धन का कार्य शुरू किया जा रहा है। पुनर्जीवन के लिये चयनित नदियों का विवरण इस प्रकार है :-

मध्यप्रदेश में चयनित नदियों का पुनर्जीवन

आव नदी

जिला : आगर मालवा
जनपद : आगर, बड़ौद
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 49.37
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 24734.21
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 18
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 23
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 40



अनखड नदी

जिला : अलीराजपुर
जनपद : कट्टीवाड़ा, सेंधवा, अलीराजपुर
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 45.52
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 33925.16
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 50,
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 34
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 50



तिपान नदी

जिला : अनूपपुर
जनपद : जैतहरी
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 37.97
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 41436.59
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 31
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 34
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 54



देव नदी

जिला : बालाघाट

जनपद : बिरसा

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 45.73

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 23905.83

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 19

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 11

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 24



डेब नदी

जिला : बड़वानी

जनपद : ठीकरी, राजपुर, संधवा, संहगाँव

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 79.26

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 82684.4

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 95

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 64

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 90



धारखो और फोफास नदी

जिला : बैतूल

जनपद : घोड़ाडोंगरी, बैतूल

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 66.68

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 57098.52

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 41

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 28

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 69



काली नदी

जिला : छतरपुर

जनपद : बैरागढ़, लौंडी

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 78.67

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 79330.91

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 99

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 62

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 109



कन्हान नदी

जिला : छिंदवाड़ा

जनपद : जामई, परासिया, मोहखेड़

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 90.46

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 57086.39

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 45

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 69

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 145



नदी पुनर्जीवन

भदरा नदी

जिला : दमोह
जनपद : तेंदूरखेड़ा, जबेरा
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 68.74
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 92047.08
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 104
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 52
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 126



कालीसिंध नदी

जिला : देवास
जनपद : बागली
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 60.18
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 41254.36
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 30
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 57
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 103



उरी नदी

जिला : धार
जनपद : बाध, गंधवानी, कुक्षी, सरदारपुर
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 44.66
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 58621.82
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 93
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 62
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 106



खुज नदी

जिला : धार
जनपद : नालाछा, उमरबन, धरमपुरी
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 41.29
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 28887.58
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 35
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 35
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 57



गंजार नदी

जिला : डिंडोरी
जनपद : डिंडोरी
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 30.33
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 18105.99
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 11
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 9
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 31



सुखमेर नदी

जिला : डिंडोरी

जनपद : अमरपुर, समनापुर

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 17.22

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 9068.46

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 10

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 7

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 19



अजीत खो नदी

जिला : गुना

जनपद : गुना, बमोरी

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 19.02

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 25581.93

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 26

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 10

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 19



बेसली नदी

जिला : ब्वालियर

जनपद : मोरार

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 33

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 46742.29

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 70

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 45

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 83



कनाडी, बाह नदी

जिला : जबलपुर

जनपद : मझौली, सिहोरा

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 63.59

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 26242.99

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 29

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 38

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 60



पंपावती नदी

जिला : झाबुआ

जनपद : पेटलावद, थांदला

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 31.58

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 47487.63

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 42

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 50

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 116



नदी पुनर्जीवन

कटनी नदी

जिला : कटनी

जनपद : विजयराघवगढ़, कटनी, बड़वारा,
रीठी, बहोरीबंद

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 96.34

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 161048.92

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 115

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 153

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 305



कावेरी नदी

जिला : खंडवा

जनपद : खंडवा, पुनासा, छैगांवमाखन

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 54

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 47091.64

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 53

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 35

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 51



रूपा नदी

जिला : खरगोन

जनपद : गोगवां, भगवानपुरा

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 25.26

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 11605.47

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 13

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 8

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 15



रेल नदी

जिला : खरगोन

जनपद : भीकनगाँव, झिरन्या

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 30.86

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 7191.22

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 9

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 5

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 7



बुडनेर नदी

जिला : मंडला

जनपद : मवई, मोहगांव

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 122.17

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 106349.27

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 131

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 47

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 98



सौंह नाला नदी

जिला : मुरैना

जनपद : सबलगढ़, कैलारस, पहाड़गढ़

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 29.53

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 15375.64

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 23

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 12

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 24



बरूरेवा नदी

जिला : नरसिंहपुर

जनपद : करेली, नरसिंहपुर

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 24.65

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 44691.51

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 63

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 53

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 113



बोरखेड़ी नदी

जिला : नीमच

जनपद : जावद, नीमच

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 37

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 36717.85

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 50

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 47

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 105



गाडगंगा नदी

जिला : राजगढ़

जनपद : सारंगपुर, राजगढ़, खिलचीपुर

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 55

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 57520.23

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 33

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 83

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 185



करन नदी

जिला : रतलाम

जनपद : सैलाना, बाजना

नदी की लंबाई (कि.मी.) : 49

नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 20984.86

माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 20

सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 26

सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 78



नदी पुनर्जीवन

बिछिया नदी

जिला : रीवा

जनपद : मऊगंज, रायपुर कर्चुलियान, रीवा
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 40.08
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 56981.99
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 55
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 79
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 200



नरेन नदी

जिला : सागर

जनपद : मालथोन, रघुरई
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 120.23
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 99522.31
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 121
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 82
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 218



बरुआ नदी

जिला : सतना

जनपद : उचेहरा
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 49
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 21927.06
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 20
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 11
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 27



हिर्री नदी

जिला : सिवनी

जनपद : बरघाट, केवलारी
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 77.88
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 102465.61
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 88
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 117
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 182



कुनुक नदी

जिला : शहडोल

जनपद : बुरहार, गोहपारू
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 75.65
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 71669.22
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 53
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 56
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 92



सीप नदी

जिला : श्योपुर
जनपद : श्योपुर, कराहल
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 77.99
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 145296.96
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 116
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 43
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 85



माहौर नदी

जिला : शिवपुरी
जनपद : खनियाधाना, पिछोर, करेरा
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 105.26
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 131282.85
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 199
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 112
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 170



देवनार नदी

जिला : सीधी
जनपद : सीधी, रामपुरनैकिन
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 28.65
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 25372
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 17
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 28
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 55



कुढ़ेरी नाला नदी

जिला : सीधी
जनपद : सिंहावल
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 31.31
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 8835
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 5
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 18
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 45



सुखार नदी

जिला : सिंगरौली
जनपद : देवसर, बैढ़न
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 18.45
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 23268.96
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 19
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 11
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 22



नदी पुनर्जीवन

उर नदी

जिला : टीकमगढ़
जनपद : बलदेवगढ़, टीकमगढ़, जतारा, पलेरा
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 78.94
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 97895.19
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 73
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 103
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 173



घोड़छत्र नदी

जिला : उमरिया
जनपद : करकेली
नदी की लंबाई (कि.मी.) : 59
नदी कैचमेंट का क्षेत्रफल (है.) : 42519.01
माइक्रोवाटरशेडों की संख्या : 30
सम्मिलित ग्राम पंचायतें : 46
सम्मिलित ग्रामों की संख्या : 72



● प्रस्तुति : ज्योति राय

सूख चुकी कनाड़ी नदी फिर बनेगी जीवनदायिनी

करीब डेढ़ दशक पूर्व क्षेत्र की जीवनदायिनी रही जबलपुर जिले के सिहोरा और मझौली तहसीलों के 51 ग्रामों के लोगों को पानी मुहैया कराने वाली कनाड़ी नदी को एक बार फिर उसके मूल स्वरूप में लाने के ठोस प्रयास शुरू किए गए हैं। इसके लिये 127 करोड़ की कार्य-योजना पर अमल

शुरू किया गया है।

कनाड़ी नदी की धारा को अविरल बनाने के लिये कैचमेंट एरिया की ग्राम पंचायतों सहित नदी के सहायक नालों टेढ़िया, पौड़ीहार और दुगानी आदि में बोल्टर चैक के जरिये बरसात का पानी रोकने के इंतजाम किये गये हैं। इससे नदी के तटवर्ती गाँवों में भू-जल स्तर में वृद्धि होगी। इसके साथ ही मझौली तहसील की 27 ग्राम पंचायतों के 40 गाँवों में जल-ग्रहण संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सिहोरा तहसील की 4 ग्राम पंचायतों गुनहरू, कुर्रों, जुनवानीकलां और मोहसाम में बोल्टर चैक सहित अन्य जल-संरचनाएँ बनाई गई हैं। क्षेत्र के ग्रामीणों को भरोसा है कि प्रशासन और जनपद पंचायत की पहल से आरंभ की गई 127 करोड़ लागत की कार्य-योजना के पूर्ण होने पर कनाड़ी नदी एक बार फिर अपने जीवनदायिनी स्वरूप को प्राप्त करेगी। ऐसा होते ही आसपास की 31 ग्राम पंचायतों के 51 ग्रामों में एक बार फिर हरियाली और समृद्धि लौटेगी।

● प्रस्तुति : अनिल विशिष्ट

बाणसागर की नहरों से

19 ग्राम पंचायतों को मिला पेयजल

पिछले दो वर्षों से भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे रीवा जिले के गाँवों के लिये बाणसागर बाँध की नहरें वरदान साबित हुई हैं। बाँध के आसपास की रीवा जिले की 19 ग्राम पंचायतों के 21 तालाबों में इन नहरों से निरंतर जल भराव कराया गया है। अब स्थिति यह है कि गर्मी की भीषणता के बावजूद पिछले 3-4 माह से ग्रामीणों को भरपूर पेयजल मिल रहा है। पानी के पर्याप्त भराव के कारण भीषण गर्मी के दौरान भी इन क्षेत्रों में हरियाली बनी रही। भूमि का जल-स्तर भी बढ़ा, जिससे आसपास के सभी गाँवों के कुओं में पर्याप्त पानी रहा। क्षेत्र के हैण्डपम्प भी निरंतर पानी देते रहे। रीवा जिले में कई वर्षों से निरंतर औसत से कम वर्षा होने से तालाब, कुएँ, बावड़ी और अन्य पेयजल स्रोतों में पर्याप्त पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। इस क्षेत्र में तापमान भी 42 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता था। गर्मी से पेयजल स्रोत सूखने लगे थे। इस वर्ष मार्च माह में तो जिले के अधिकांश तालाब सूख चुके थे। आम आदमी को पेयजल तथा निस्तार के लिये पानी का संकट उत्पन्न हो गया था। पशुओं के लिये भी पानी का संकट खड़ा हो गया था। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन ने रीवा जिले के लिये बाणसागर बाँध की नहरों से पानी देने की पहल की। अब इन ग्राम पंचायतों में ग्रामवासियों और उनके पशुओं के लिये हमेशा भरपूर पानी उपलब्ध रहता है।

नर्मदा जल से पुनर्जीवित हुई हिरन नदी

पेयजल संकट से जूझ रही सवा लाख आबादी की जीवनदायिनी बनी



पुनर्जीवन के पहले हिरन नदी



पुनर्जीवित हिरन नदी

ज बलपुर जिले में सिहोरा तहसील मुख्यालय और तटवर्ती ग्रामों की सवा लाख से अधिक आबादी और पशुओं के लिये हिरन नदी जीवनदायिनी बन गई है। बरगी बाँध की दायीं तट नहर से छोड़े गये नर्मदा जल से पुनर्जीवित हुई हिरन नदी भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे सिहोरा नगर और तटवर्ती ग्रामों की सवा लाख से अधिक आबादी और मवेशियों के लिये जीवनदायिनी साबित हो रही है।

जबलपुर जिले के कुण्डम ग्राम से निकली नर्मदा की सहायक नदी हिरन में कुछ बरस पहले तक बारहों महीने पानी प्रवाहित होता था किन्तु तेज गर्मी और अँधाधुँध रेत खनन से बने भीषण हालात के चलते मई-जून माह में ही हिरन नदी सूख गई और तटीय ग्रामों में जल-स्तर काफी नीचे चला गया। हैण्ड-पम्प और अन्य जल-स्रोतों के सूख जाने से जल-संकट जैसी स्थिति निर्मित हो गई।

करीब 50 हजार की आबादी वाले सिहोरा नगर के 30 हजार से अधिक लोगों के घरों में सदानीरा हिरन नदी का ही पानी पहुँचता था। नदी सूखने के कारण इंसान हो या पशु सभी पानी के मोहताज हो गये। सिहोरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी बताते हैं कि

नगर पालिका के दो तिहाई वार्डों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई और हिरन नदी के पानी पर निर्भर खितौला फिल्ट्रेशन प्लांट से भी जलापूर्ति बंद हो गई। इन विकट स्थितियों के मद्देनजर सूख चुकी हिरन

नदी में इंटेकवेल बनाकर विद्युत पम्प से पानी की आपूर्ति के इंतजाम किये गये लेकिन पर्याप्त पानी नहीं होने के चलते यह व्यवस्था भी कुछ दिनों में ही असफल हो गई।

इस भयावह स्थिति से उबरने के लिये जद्दोजहद कर रही सिहोरा नगर पालिका ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से बरगी बाँध की दायीं मुख्य तट नहर से हिरन नदी में पानी छोड़ने का आग्रह किया। कार्यपालन यंत्री श्री एम.के. ढिमोले ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पिछले 20-25 दिनों से दायीं तट नहर के किलोमीटर 84 ग्राम खिरहनीकला से 5 हजार लीटर प्रति सेकेण्ड (5 क्यूमेक) प्रतिदिन के मान से नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। इस कारगर कदम के चलते सूखी हुई हिरन नदी को नर्मदा नीर से जैसे नया जीवन मिल गया। हिरन नदी को पानी से लबालब देख ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना न रहा। वर्तमान में हिरन नदी के 50 किलोमीटर से भी अधिक बहाव क्षेत्र तक पानी पहुँच रहा है और क्षेत्र के 35 से अधिक गाँव के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हजारों ग्रामीणों को पेयजल संकट से निजात भी मिल गई है।

जबलपुर जिले में सिहोरा तहसील मुख्यालय और तटवर्ती ग्रामों की सवा लाख से अधिक आबादी और पशुओं के लिये हिरन नदी जीवनदायिनी बन गई है। बरगी बाँध की दायीं तट नहर से छोड़े गये नर्मदा जल से पुनर्जीवित हुई हिरन नदी जीवनदायिनी साबित हो रही है। सूखी हुई हिरन नदी को नर्मदा नीर से जैसे नया जीवन मिल गया। हिरन को पानी से लबालब देख ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना न रहा। वर्तमान में हिरन नदी के 50 किलोमीटर से भी अधिक बहाव क्षेत्र तक पानी पहुँच रहा है और क्षेत्र के 35 से अधिक गाँवों के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

मंत्री श्री पटेल द्वारा बालाघाट में 14.28 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण



पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने 25 जून को बालाघाट जिले में 14 करोड़ 28 लाख लागत के 3 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना काँवरे, खनिज मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल, विधायक श्री संजय उइके सहित अन्य

गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मंत्री श्री पटेल ने बालाघाट जिले के मलाजरखण्ड में 3 करोड़ 53 लाख लागत के महाविद्यालय भवन, बिरसा तहसील के ग्राम कैडाटोला में 9 करोड़ 95 लाख लागत के आई.टी.आई. भवन तथा 80 लाख लागत के स्टेडियम का लोकार्पण किया।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण के निर्देश जारी

राज्य सरकार ने वचन-पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के वचन को पूरा किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समस्त विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश जारी किये गये हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो संवैधानिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग

को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं। निर्देश जारी होने के दिनांक से इस वर्ष प्रारंभ हो रहे शिक्षा सत्र से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिये यह आरक्षण प्रभावशील होगा। जिन शिक्षण संस्थाओं में इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वहाँ आरक्षण अगले शिक्षा सत्र से लागू होगा। आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन लोगों को मिलेगा, जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

मार्च 2023 तक शत-प्रतिशत ग्रामों का होगा डामरीकरण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मार्च 2023 तक प्रदेश के शत-प्रतिशत ग्रामों को डामरीकृत सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी 3174 ग्रामों को डामरीकृत मार्ग से जोड़ने का कार्य प्रारम्भ हो गया है। प्रदेश में कुल एक लाख 27 हजार 869 किलोमीटर सड़क मार्ग है। इसमें से सर्वाधिक 61 प्रतिशत अर्थात् 77,269 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाई गईं। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा 2023 तक ऐसे सभी ग्राम, मजरे-टोलों को डामरीकृत मार्ग से जोड़ा जाएगा, जहाँ न्यूनतम 50 परिवार निवासरत हैं।

● अनिल वशिष्ठ

मिनी फायर फाइटर से अग्नि दुर्घटनाओं पर काबू



बैतूल जिले के ग्रामीण अंचलों में अग्नि दुर्घटना होने पर अब ग्रामीण परेशान नहीं होते। जिले के ग्रामीण अंचलों में अग्नि दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिये मिनी फायर फाइटर तैयार किये गये हैं। जिले की 27 बड़ी ग्राम पंचायतों में पानी के टैंकरों को डीजल पम्प और पाइप लगाकर मिनी फायर फाइटर का स्वरूप दिया गया है। जिला प्रशासन ने इनके संचालन के लिये एक निजी एजेंसी के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिलवाया है। मिनी फायर फाइटर की यह योजना ग्राम पंचायतों के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसे बनाने में मात्र 25 हजार रुपये लागत आयी है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल द्वारा जनपद पंचायत सिंहावल में विभागीय कार्यों की समीक्षा की गयी। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतें जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिये जन सहयोग एवं भागीदारी से कार्य करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत जल संरक्षण का कम से कम एक कार्य लेकर उसका बेहतर क्रियान्वयन करे। पंचायत मंत्री ने कहा कि जल है तो कल है। जल के बिना जीवन सम्भव नहीं है। हमने अपनी भौतिकतावादी सोच के कारण अपने पर्यावरण, विशेषकर जलस्रोतों को बहुत हानि पहुंचायी है। अब समय आ गया है कि हम अपने पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये सामूहिक प्रयास करें। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले 3 सरपंचों को पुरस्कृत किया जायेगा। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये, द्वितीय 75 हजार तथा तृतीय 51 हजार रुपये से

जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिये ग्राम पंचायतें उत्कृष्ट कार्य करें



पुरस्कृत किया जायेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने जनपद पंचायत सिंहावल के सभागार में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की विभागवार विस्तृत समीक्षा करते हुए समस्त जिला अधिकारियों को सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के

निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर सभी पात्र हितग्राहियों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। इसके साथ ही शिविर में प्राप्त समस्याओं एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निराकरण किया जाये।

● राजकुमार पटेल

मध्यप्रदेश में जल स्रोतों को सहेजने संवारने का प्रयास



मध्यप्रदेश में नदी पुनर्जीवन को आन्दोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा वचन पत्र में दिये वचन के अनुसार जल स्रोतों को सहेजने एवं संवारने का न सिर्फ प्रयास किया जा रहा है बल्कि इसके अमल के लिए जनता से सीधे सुझाव भी मांगे गये हैं।

युवाओं की ऊर्जा और मेधा का उपयोग युवाओं को जलदूत बनाकर जल संरक्षण, संवर्धन के लिए किया जायेगा। प्रदेश की 40 नदियों के पुनर्जीवन के लिए चरणबद्ध कार्य शुरू कर दिये गये हैं। इसी क्रम में खण्डवा जिले के रूपारेल नदी किनारे श्रमदान कर उसे 20 साल पुराने स्वरूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि रूपारेल नदी की लम्बाई 32 किलोमीटर है। नदी के कैचमेंट क्षेत्र में जिले की 2 जनपद पंचायतें खालवा

तथा हरसूद शामिल हैं जिसमें 10 ग्राम पंचायतें एवं 12 गांव आते हैं।

नदी के कैचमेंट क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव और ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री, सरपंच द्वारा ग्रामीणों के साथ रिज टू वैली सिद्धांत के आधार पर वॉक थ्रु सर्वे और ट्रांजिट वॉक कर कन्टूर, अर्द्धन चैकडेम, लूज बोलडर, गेबियन, परकोलेशन तालाब, खेत तालाब, पोखर तालाब, निस्तार तालाब, डाईक, सोक पिट, नाला विस्तारीकरण, चैकडेम एवं स्टॉपडेम आदि कार्यों को शामिल करते हुए 350 कार्य चिन्हित किये गये हैं। इन कार्यों की लागत 2 करोड़ 25 लाख रुपये है। अब इन कार्यों को शुरू भी कर दिया गया है, जिसमें से 110 कार्य जिनकी लागत 2 लाख 39 हजार रुपये के किये गये।

रूपारेल की ही तरह 32 पंचायतों में 54 किलोमीटर तक आने वाली कावेरी नदी पुनर्जीवित होगी।

कावेरी नदी कछार क्षेत्र में चैक डेम, तालाब निर्माण तथा अन्य जल संरक्षण के कार्य किये जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कावेरी तथा रूपारेल नदियों में नदी पुनर्जीवन योजना में शामिल गतिविधियों को करने के बाद नदी के भू-जल स्तर में वृद्धि होगी। जिससे नदी की धारा अनवरत रहेगी और वह बारहमासी होगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। जहां पहले किसान वर्ष में एक फसल लेते थे, वह अब वर्ष में 2 फसलें लेने लगे जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

साथ ही पशुओं के लिए चारा तथा पानी की अधिक उपलब्धता से डेयरी और अन्य गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी, ग्रामीणों के पलायन पर अंकुश लगेगा और ग्रामीण मध्यप्रदेश समृद्धि की ओर अग्रसर होगा।

● प्रस्तुति : समीर शास्त्री

पौधरोपण के जरिए दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश वाल्मी तैयार करेगा जलमित्र जो संभालेंगे जल संरक्षण की जिम्मेदारी



प्रकृति ने हमारे जीवन की भलाई के लिए बहुत सी चीजों को बनाया है जिससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकें और अपने जीवन की प्रत्येक समस्याओं का अच्छी तरह से समाधान कर सकें। जड़ी-बूटियां, खनिज, धातुओं, आदि बहुत सी चीजें हमारे सामने उपस्थित हैं। जरूरत है तो सिर्फ थोड़ा सा काम करने की और ज्ञान प्राप्त करके उस चीज का इस्तेमाल करने की। खास बात यह है कि इस पूरे माह संपूर्ण मध्यप्रदेश में पौधरोपण कार्यक्रम बहुत ही बड़े स्तर पर किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, शासकीय कार्यालयों सहित एनएसएस, एनसीसी सहित अन्य समूह इस पौधरोपण के कार्यक्रम में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। इतना ही नहीं इस कार्यक्रम में न सिर्फ औषधीय पौधे बल्कि फलदार और कुछ छायादार पौधों को रोपित किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) द्वारा परिसर में बंजर भूमि पर वृहद स्तर पर पौधरोपण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के फलदार, छायादार एवं औषधीय पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर निदेशक वाल्मी, श्रीमती

उर्मिला शुक्ला, प्रो. विवेक भट्ट सहित नेहरू युवा केंद्र के लगभग 50 युवा उपस्थित रहे। सभी लोगों ने पौधरोपण कर पौधों के संरक्षण का भी संकल्प लिया। वाल्मी निदेशक, श्रीमती उर्मिला शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) ने प्रदेश में बेहतर जल प्रबंधन एवं भूमि प्रबंधन की एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत अब जल संरक्षण के कार्यों में युवा शक्ति को जोड़ा जाएगा। इसके लिए वाल्मी ने जलमित्र के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं। जो भी युवा इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं वे अपनी अभिरुचि jalmitra.mpwalmi@gmail.com पर अपने आवेदन भेज सकते हैं अथवा कार्यालयीन समय में दूरभाष 0755-4082521 पर सम्पर्क कर सकते हैं। शार्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को संस्थान द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण देकर जल मित्र के रूप में चिन्हांकित किया जावेगा। जल मित्रों को आवश्यकतानुसार विभिन्न हितग्राहियों को जल संरक्षण कार्यों के नियोजन एवं क्रियान्वयन संबंधी मार्गदर्शन हेतु भेजा जायेगा। चयन संबंधी अंतिम निर्णय वाल्मी का होगा।

● प्रवीण पाण्डेय

त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन-सामान्य निर्वाचन वर्ष 2019-20 संशोधित समय-सारणी एवं कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टीकरण



पंचायत निर्वाचन-2019-20

परिपत्र-4

समय-सीमा

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 16-5/2019/22/पं.-2

भोपाल, दिनांक 08.07.2019

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)

मध्यप्रदेश।

विषय : त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन-सामान्य निर्वाचन वर्ष 2019-20 संशोधित समय-सारणी एवं कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टीकरण।

संदर्भ : मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का परिपत्र-2 क्रमांक एफ 16-5/2019/22/पं.-2 दिनांक 22.06.2019 एवं परिपत्र - 3 दिनांक 30.06.2019

उक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। इस संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है -

- जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन** - जनपद पंचायत का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा तथा किसी जनपद पंचायत को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासाध्य पांच हजार हो। परंतु जहां किसी जनपद पंचायत की संख्या पचास हजार से कम है, वहां उस जनपद पंचायत को कम से कम दस निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथाशक्य एक जैसी होगी। परंतु किसी भी जनपद पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 25 से अधिक नहीं होगी।
- जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन** - जिला पंचायत का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा तथा किसी जिला पंचायत को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासाध्य पचास हजार हो। परंतु जहां किसी जिले की जनसंख्या पांच लाख से कम है, वहां इस जिला पंचायत को कम से कम दस निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथाशक्य एक जैसी होगी। परंतु किसी भी जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 35 से अधिक नहीं होगी। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अपेक्षा की है कि जिला पंचायतों के वार्डों का युक्तिसंगत परिसीमन कर इन्हें जनपद पंचायत की प्रशासकीय सीमाओं में सीमित रखा जाना चाहिए।
- परिपत्र - 2** की कंडिका 12 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक सूचना एवं अंतिम अधिसूचना जारी करने के अधिकार ग्राम एवं जनपद पंचायतों के लिए जिला कलेक्टर को तथा जिला पंचायतों के लिए संभागायुक्तों को हैं। संलग्न संशोधित कार्यक्रम अनुसार परिसीमन एवं वार्ड निर्धारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(गौरी सिंह)

अपर मुख्य सचिव

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 1-1/2019/22/पं.-2
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 08.07.2019

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल कृपया जनपद/जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों के परिसीमन/पुनर्गठन की कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित कर अपेक्षित जानकारी शासन को भेजें।
3. समस्त, संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा जानकारी भेजें।



अपर मुख्य सचिव,

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

**जिन त्रिस्तरीय पंचायतों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, वार्डों/
निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं निर्धारण का संशोधित कार्यक्रम**

ग्राम पंचायतों का कार्यक्रम

1.क	पैरा 6.1 ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना या ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का विस्थापन/पुनर्गठन किये जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन (जनगणना 2011 के आधार पर)	1 जुलाई 2019 सोमवार
1.ख	पैरा 6.1 ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना या ग्राम पंचायत का गठन, विस्थापन या पुनर्गठन किये जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	16 अगस्त 2019 शुक्रवार
1.ग	पैरा 6.1 ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना या ग्राम पंचायत का गठन, विस्थापन या पुनर्गठन किये जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन पर, आपत्तियां एवं सुझाव पर निराकरण की अंतिम तिथि।	20 अगस्त 2019 मंगलवार
1.घ	पैरा 6.1 ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना या ग्राम पंचायत का गठन, विस्थापन या पुनर्गठन किये जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्तियां एवं सुझाव पर निराकरण उपरान्त धारा 3 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के गठन का अन्तिम प्रकाशन।	22 अगस्त 2019 गुरुवार
2.क	ग्राम पंचायत के वार्ड का निर्धारण तथा इनका प्रारंभिक प्रकाशन।	27 अगस्त 2019 मंगलवार
2.ख	प्रभावित ग्राम पंचायत के वार्डों के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	03 सितंबर 2019 मंगलवार

2.ग	प्रभावित ग्राम पंचायत के वार्डों के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त दावे आपत्ति एवं सुझाव पर निराकरण की अंतिम तिथि।	05 सितंबर 2019 गुरुवार
2.घ	प्रभावित ग्राम पंचायत के वार्डों के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त दावे, आपत्ति एवं सुझाव के निराकरण के उपरांत ग्राम पंचायत के वार्ड इनका क्षेत्र तथा अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या के विवरण की अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन।	06 सितंबर 2019 शुक्रवार
जनपद एवं जिला पंचायत का कार्यक्रम		
3.क	जनपद पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण तथा इनके क्षेत्र आदि का प्रारंभिक प्रकाशन।	22 अगस्त 2019 गुरुवार
3.ख	जनपद एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	31 अगस्त 2019 शनिवार
3.ग	जनपद एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे आपत्ति एवं सुझाव के निराकरण करने की अंतिम तिथि।	04 सितंबर 2019 बुधवार
3.घ	प्रभावित जनपद पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों के निराकरण के उपरांत इनका क्षेत्र तथा अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या के विवरण की अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन।	06 सितंबर 2019 शुक्रवार
4	उपरोक्त क्रमांक (1) से क्रमांक (3) का समेकित प्रतिवेदन प्ररूप-5 एवं 6 में आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय भोपाल को भेजने की अंतिम तिथि।	07 सितंबर 2019 शनिवार
5.	आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय द्वारा संपूर्ण राज्य की संकलित जानकारी एवं प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजने की अंतिम तिथि।	09 सितंबर 2019 सोमवार

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम



मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 1340/22/आर.एफ.आर.

भोपाल, दिनांक 12.02.2019

प्रति,

1. कलेक्टर,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

जिला : समस्त (अशोकनगर, भिण्ड, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, होशंगाबाद, इन्दौर, मंदसौर, मुरैना, पन्ना, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, हरदा, विदिशा को छोड़कर)

विषय : महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत “नदी पुनर्जीवन” (River Flow Restoration) कार्यक्रम के संबंध में।

प्रदेश की कई नदियां सामान्यतः वर्षाकाल के पश्चात् सूख रही हैं, जिसके फलस्वरूप इन नदियों पर आधारित आजीविका और पारिस्थितिक तंत्र (Eco System) प्रभावित हुआ है। इन सूखी नदियों में वर्षाकाल के पश्चात भी पानी का सतत प्रवाह बनाये रखने के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत “नदी पुनर्जीवन” (River Flow Restoration) कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। तत्संबंध में यह दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

1. “नदी पुनर्जीवन” की अवधारणा -

1.1 “नदी पुनर्जीवन” की अवधारणा और संबंधित वैज्ञानिक तथ्य निम्नानुसार हैं :-

- 1.1.1 नदियों में वर्षाकाल के दौरान बहने वाला पानी मुख्यतः वर्षा जल के प्रवाह (Surface Runoff) से उपलब्ध होता है। वर्षाकाल के बाद नदियों में रन-ऑफ का योगदान खत्म हो जाता है। तत्पश्चात् नदियों में बहने वाला पानी वास्तव में नदी के कैचमेंट/कछार के भूगर्भीय संस्तरों (Geological Strata) से रिस कर आने वाला भूजल (Ground Water) होता है जो बेस फ्लो के रूप में नदी में प्रवाहित होता रहता है।
- 1.1.2 सूख रही नदियों के कैचमेंट में विगत दशकों में सतही जल व भूजल के असंतुलित दोहन, भूजल के अत्याधिक दोहन, जल संरक्षण एवं संवर्धन के अभाव तथा वानस्पतिक आवरण में कमी के कारण भूजल के स्तर में सतत गिरावट हुई है। फलस्वरूप वर्षाकाल पश्चात भूजल स्तर के नदियों के तल से नीचे चले जाने के कारण बेस फ्लो समाप्त हो जाता है एवं नदी सूख जाती है।
- 1.1.3 वर्षाकाल पश्चात सूख रही नदियों में पानी का सतत प्रवाह बनाये रखने के लिए भूजल का स्तर नदी के तल से ऊपर बनाये रखना आवश्यक है। इस हेतु सूखी नदी के कैचमेंट/कछार में जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के कार्य व्यापक पैमाने पर सघनता से (Intensive Mode में) करना होंगे, जिससे भूजल का स्तर नदी के तल से ऊपर रहकर बेस फ्लो के रूप में नदी में प्रवाहित हो और नदी पुनर्जीवित हो सके।

2. कार्यक्षेत्र -

- 2.1 “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम हेतु चयनित नदियों का विवरण अनुलग्नक - 1 में दिया गया है। प्रारंभिक चरण में कार्यक्रम के अंतर्गत नदियों के चयन हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार किया गया है :-
 - 2.1.1 ऐसी नदी जिसका प्रवाह जिले तक सीमित है।
 - 2.1.2 ऐसी नदी जो वाटरशेड एटलस के आधार पर वर्गीकृत पांचवीं अथवा अग्रिम इकाई है।
 - 2.1.3 ऐसी नदी जिसके कैचमेंट/कछार में ऐसी पारगम्य व अपरदित (Porous, Weathered and Fractured) चट्टानें हैं, जिसमें भूजल धारण एवं प्रवाह की क्षमता है।
 - 2.1.4 ऐसी नदी जिसका ढाल सामान्य से मध्यम है।

3. संस्थागत व्यवस्था -

3.1 जिला स्तर -

- 3.1.1 कार्यक्रम के संपूर्ण नियोजन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नोडल अधिकारी होंगे।

- 3.1.2 महात्मा गांधी नरेगा योजना के जिला परियोजना अधिकारी और सीनियर डाटा मैनेजर “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम हेतु चयनित जल संरक्षण व भूजल संवर्धन कार्यों की योजना के प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं के अनुरूप समयबद्ध प्रशासकीय स्वीकृतियां सुनिश्चित करायेंगे। वे कार्यक्रम के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु नियमित अनुश्रवण भी करेंगे।
- 3.1.3 कार्यपालन यंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर मार्गदर्शन देंगे तथा “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम हेतु कार्यान्वित हो रहे जल संरक्षण व भूजल संवर्धन कार्यों की गुणवत्ता का नियमित परीक्षण व अनुश्रवण करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि चयनित कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियां समय-सीमा में जारी हो और इस प्रक्रिया में विलंब न हो।
- 3.1.4 जिला तकनीकी विशेषज्ञ/जिला परियोजना समन्वयक (वाटरशेड) “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम हेतु जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कार्यों का वाटरशेड के सिद्धांत के आधार पर चयन, आयोजना तथा तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप इन कार्यों के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन और परिणामों का नियमित परीक्षण व अनुश्रवण करेंगे और नियमित रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत करेंगे। वे सप्ताह में कम से कम दो दिन प्रक्षेत्र भ्रमण (Fiels Visit) कर “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेंगे।
- 3.1.5 जिला परियोजना अधिकारी, राज्य आजीविका मिशन “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम में महिला स्व-सहायता समूहों को संबद्ध किये जाने हेतु तय की गई रणनीति के अनुरूप आवश्यक समन्वय करेंगे।

3.2 विकासखण्ड स्तर -

- 3.2.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी होंगे।
- 3.2.2 महात्मा गांधी नरेगा योजना के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम हेतु चयनित जल संरक्षण व भूजल संवर्धन कार्यों की योजना के प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं के अनुरूप समयबद्ध प्रशासकीय स्वीकृतियां सुनिश्चित करायेंगे। वे कार्यक्रम के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु नियमित अनुश्रवण भी करेंगे।
- 3.2.3 सहायक यंत्री - ग्रामीण यांत्रिकी सेवा “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम हेतु चयनित जल संरक्षण व भूजल संवर्धन कार्यों कार्यक्रम की तकनीकी स्वीकृतियां समय-सीमा में जारी करेंगे। वे तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप इन कार्यों के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन और परिणामों का नियमित परीक्षण व अनुश्रवण करेंगे।
- 3.2.4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नदी के कैचमेंट के क्षेत्रफल तथा सम्मिलित ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में वाटरशेड परियोजनाओं के विकासखण्ड समन्वयक तथा विकासखण्ड अभियंता और महात्मा गांधी नरेगा के उपयंत्रियों को शामिल कर जनपद-वार तकनीकी दलों का गठन किया जाएगा। इन तकनीकी दलों के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगे -
 - 3.2.4.1 नदी के कैचमेंट के माईक्रोवाटरशेड में आधारभूत जानकारी/आंकड़ों के संकलन।
 - 3.2.4.2 नदी के कैचमेंट के माईक्रोवाटरशेड में भ्रमण कर नेटप्लान और सर्वेक्षण करना।
 - 3.2.4.3 नदी के कैचमेंट के माईक्रोवाटरशेड में वाटरशेड के रिज टू वैली सिद्धांत के आधार पर जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कार्यों का इंटेन्सिव मोड में चयन तथा इनके निर्माण स्थल का निर्धारण।
 - 3.2.4.4 नदी के कैचमेंट के माईक्रोवाटरशेड के जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कार्यों की आयोजना तैयार करना।
 - 3.2.4.5 स्वीकृत जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी को तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग देना।
 - 3.2.4.6 जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कार्यों का तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त क्रियान्वयन हेतु सतत् अनुश्रवण व पर्यवेक्षण करना।
 - 3.2.4.7 कार्यों में विलंब व अन्य कठिनाई के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को तत्काल सूचना देकर कठिनाइयों का निराकरण कराना।
 - 3.2.4.8 कार्यों के चयन, आयोजना तथा क्रियान्वयन में तकनीकी कठिनाइयों के संबंध में सहायक यंत्री को अवगत कराकर निराकरण कराना।

4. आयोजना -

- 4.1 “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम की विस्तृत आयोजना नदी के कैचमेंट/कछार के प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड में इनटेन्सिव मोड में क्रियान्वित किये जाने वाले जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन के कार्यों की आयोजना को संकलित कर तैयार की जायेगी।
- 4.2 चयनित नदी और इसके कैचमेंट के ड्रेनेज तथा माइक्रोवाटरशेडों का जियोरिफरेन्स नक्शा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को उपलब्ध कराया गया है। इन नक्शों को टोपोशीट पर सुपरडम्पोज कर कैचमेंट के ग्रामों एवं अन्य Features को चिन्हित किया जा सकता है।
- 4.3 तकनीकी दलों द्वारा चयनित नदी के कैचमेंट के माइक्रोवाटरशेडों में भ्रमण कर नेट प्लान और सर्वेक्षण किया जायेगा। वे इस नेट प्लान तथा सर्वेक्षण के दौरान प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड की स्थानीय विशिष्टताओं व तकनीकी पैरामीटर (स्लोप, टोपो, ग्राफी, हाइड्रोजीओलॉजी, रन-ऑफ इत्यादि) को ध्यान में रखकर तथा वाटरशेड के रिज-टू-वेली के सिद्धांत के आधार पर निम्न में से आवश्यक और उपयुक्त कार्यों का चयन तथा निर्माण स्थल का निर्धारण करेंगे :-
 - 4.3.1 कंटूर ट्रेन्च (एकल कार्य अथवा वानस्पतिक बंधान के साथ)
 - 4.3.2 गली प्लग/लूज बोल्टर चेक
 - 4.3.3 कंटूर बोल्टर वॉल
 - 4.3.4 गैबियन संरचना
 - 4.3.5 पड़त भूमि/गैर कृष्य भूमि पर वृक्षारोपण
 - 4.3.6 भूजल संवर्धन के कार्य जैसे परकोलेशन तालाब, कुओं का रिचार्ज, अंडरग्राउंड डाईक, रिचार्ज पिट, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज वेल इत्यादि।
 - 4.3.7 चैकडेम/स्टापडेम
 - 4.3.8 तालाब
 - 4.3.9 खेत तालाब
 - 4.3.10 मेढ़ तालाब
- 4.4 उपरोक्तानुसार कार्यों के चयन के पश्चात प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड के प्रत्येक जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन कार्य हेतु तय किये गये निर्माण स्थल के Dimension (परिमाण) को ध्यान में रखकर तकनीकी दलों द्वारा लोकेशन स्पेसिफिक ड्राइंग व डिजाईन और प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे ताकि निर्मित संरचना परिणाममूलक हो।
- 4.5 उक्त कार्यवाही के बाद तकनीकी दलों द्वारा प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड की आयोजना तैयार की जायेगी। इस आयोजना में माइक्रोवाटरशेड की आधारभूत जानकारी/आंकड़ों और प्रत्येक चयनित जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन के कार्यों का विवरण (मात्रा/संख्या, ड्राइंग/डिजाईन, प्राक्कलन, लागत, जीओ कोर्डिंग तथा आउटकम) सम्मिलित किया जायेगा। सभी माइक्रोवाटरशेडों की आयोजना को समेकित कर संपूर्ण नदी के पुनर्जीवन की डी.पी.आर./आयोजना को अंतिम रूप दिया जायेगा।
- 4.6 चयनित कार्यों का क्रियान्वयन होने पर प्राप्त फीड-बैक के आधार पर तथा नवीन तकनीकी एवं वैज्ञानिक इनपुट जैसे : रिमोट सेंसिंग आंकड़ों के निष्कर्ष इत्यादि के आधार पर उक्त आयोजना में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जा सकेगा।

5. स्वीकृतियां, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण -

- 5.1 उपरोक्त अनुसार “नदी पुनर्जीवन” कार्यक्रम की आयोजना के अनुक्रम में चयनित कार्यों की स्वीकृतियां, क्रियान्वयन और अनुश्रवण महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानों तथा निर्धारित प्रक्रिया/प्रणाली के अनुसार किया जायेगा।



(गौरी सिंह)

विकास आयुक्त

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी नरेगा एवं पंचायतराज संचालनालय की राशि के अभिसरण से डामरीकृत ग्रामीण सड़क उपयोजना क्रियान्वयन के संबंध में



मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 11578/MGNRESG-MP/NR-3/2019

भोपाल, दिनांक 08.03.2019

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
जिला - समस्त, मध्यप्रदेश

विषय : महात्मा गांधी नरेगा एवं पंचायतराज संचालनालय की राशि के अभिसरण से डामरीकृत ग्रामीण सड़क उपयोजना क्रियान्वयन के संबंध में।

शासन के द्वारा निर्णय लिया है कि, ऐसे सभी राजस्व ग्रामों को, जो पूर्व में किसी कारणों से नहीं जुड़ सके अथवा बाद में राजस्व ग्राम घोषित हुए, को आगामी वर्षों में डामरीकृत सड़कों से एकल संपर्कता से जोड़ा जावे तथा सड़क के साथ इन पर आने वाली पुल-पुलियों का निर्माण भी किया जावे, ताकि बारहमासी सम्पर्कता "जिसे आगे **डामरीकृत ग्रामीण सड़क उपयोजना** कहा जावेगा" प्रदान की जा सके। इस उपयोजना का क्रियान्वयन महात्मा गांधी नरेगा एवं पंचायतराज संचालनालय की राशि के अभिसरण से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में किया जावेगा। महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधान अनुसार कार्यों का संपादन ग्रामीण क्षेत्र में किया जावेगा तथा मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण जिला स्तर पर किया जाना अनिवार्य होगा।

विभाग द्वारा जिलों के माध्यम से किये गये सर्वे के आधार पर चिन्हांकित जिन राजस्व ग्रामों में अभी तक बारहमासी सम्पर्कता प्रदान नहीं की जा सकी है अथवा सीएमजेएसवाय अंतर्गत कम से कम 05 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया हो, इनको डामरीकृत ग्रामीण सड़क उपयोजना अंतर्गत लिया जाना है।

महात्मा गांधी नरेगा के Master Circular - FY 2018-19 अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों को छोड़कर अन्य ग्रामीण सड़कों को एकल बारहमासी सड़कों से जोड़े जाने का प्रावधान है। सड़कों की सर्फेस का स्टेडण्डर्ड, ट्रेफिक एवं स्थानीय परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामीण सड़कों हेतु IRC SP-72 के मापदण्डों के अनुरूप क्रियान्वयन किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार कार्य को सम्पन्न करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:-

1. कार्यों का चयन -

- (i) सर्वप्रथम संलग्न जिलेवार सूची के आधार पर 50 अथवा 50 से अधिक जनसंख्या वाले राजस्व ग्रामों को Descending Order में चयनित किया जावे।
- (ii) कार्य चयनित करने हेतु कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर निम्न बिन्दुओं पर सत्यापन किया जावे :-
 - (a) चयनित सड़क संपर्क विहीन राजस्व ग्राम को एकल संपर्कता से जोड़ती हो।
 - (b) चयनित सड़कों की लंबाई में वन भूमि तो नहीं है, यदि है तो ऐसी स्थिति में प्रथमतः वन विभाग की एनओसी/अनुमति प्राप्त करने के बाद ही टीएस/एस आदि की कार्यवाही की जावे।
 - (b) निजी भूमि आने पर भू-अर्जन का प्रावधान नहीं होने से केवल ऐसी सड़कों को चुना जावे जहां भूमि स्वामी सड़क में आने वाली भूमि को शासन के पक्ष में करने हेतु तैयार हो।
 - (d) सीएमजेएसवाय अंतर्गत निर्मित ग्रेवल रोड जिनका बी.टी. रोड में उन्नयन किया जाना है, इनकी पूर्णता कम से कम 05 वर्ष पूर्व हुई हो।

- (iii) जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि परियोजना हेतु अविवादित, स्पष्ट मालिकाना हक की भूमि विभाग को सौंपी जाये।
- (iv) प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा दी गई अनकनेक्टेड ग्रामों की नवीन डामरीकृत सड़कों व 5 वर्ष पूर्व सीएमजीएसवाय अंतर्गत निर्मित ग्रेवल सड़कों का बी.टी. रोड में उन्नयन किये जाने हेतु दी गयी सूची परिशिष्ट 1 अनुसार संलग्न है। इस सूची के आधार पर एवं वर्ष 2018-19 में जिलों के नरेगा अंतर्गत व्यय के आधार पर जिले में प्रति वर्ष ली जाने वाली दोनों प्रकार की प्रस्तावित सड़कों की संख्या सांकेतिक रूप से दर्ज है। इन सड़कों का सत्यापन बिन्दु क्रमांक 1 (i) एवं 1 (ii) के अनुसार किया जावे।
- (v) इस उपयोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थित केवल Village Roads (VR) एवं Other District Road (O.D.R.) को सम्मिलित किया जावे एवं जिले द्वारा एकल सड़क संपर्कता हेतु Connectivity plan तैयार कर Saturation mode में कार्य किया जावे।

2. कार्य की स्वीकृति की प्रक्रिया -

- (i) ऐसे सभी गैर जुड़े राजस्व ग्राम जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 50 अथवा 50 से अधिक है उन ग्रामों की जनसंख्या के Descending order (घटते क्रम) से सड़क निर्माण का कार्य किया जावेगा।
 - (ii) पंचायतराज संचालनालय की अभिसरण की राशि न्यूनतम 10 प्रतिशत होगी।
 - (iii) प्रत्येक परियोजना में न्यूनतम 10 प्रतिशत अकुशल मजदूरी घटक सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (iv) सामग्री मद में जिला गौड़खनिज (डी.एम.एफ.)/सांसद निधि/विधायक निधि आदि स्रोतों से अभिसरण हेतु राशि प्राप्त होने पर परिशिष्ट 1 में दर्शित संख्या से अधिक संख्या में सड़कों का निर्माण किया जा सकेगा।
 - (v) कार्य का अनुमोदन मनरेगा के प्रावधानों के अनुरूप किया जावे।
 - (vi) कार्यों का सर्वेक्षण एवं डीपीआर तैयार करने का कार्य क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा किया जावेगा। जहां सड़कों की संख्या अधिक है वहां डीपीआर तैयार करने हेतु Consultant नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसी विशेष परिस्थिति में डीपीआर हेतु 0.5 प्रतिशत का प्रावधान प्राक्कलन में पंचायतराज संचालनालय की राशि के अंश से किया जावे।
 - (vii) पी.एम.जी.एस.वाय. की स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। यदि इस हेतु Project Management Consultant नियुक्त करना है तब इसका प्रावधान नरेगा से Consultancy/Contingency के मद में 2 प्रतिशत तक की सीमा में किया जा सकता है। जिसका विभागीय नियमों के अनुसार SQC नियुक्त कर कार्यदिश जारी किया जा सकेगा।
 - (viii) सड़क एवं पुल-पुलियों (06 मी. से कम स्पान) का समेकित प्राक्कलन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रचलित राज्य दर अनुसूची के अनुसार तैयार किया जावेगा। निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी। तकनीकी स्वीकृति जारी करते समय यह ध्यान रखा जावे कि जहां पर सीमेंट कांक्रीट रोड/प्रोटेक्शन कार्य/ ड्रेनेज कार्य की आवश्यकता है, इसका यशोचित समावेश प्राक्कलन में किया जावे।
 - (ix) कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा द्वारा दी जावेगी।
 - (x) इन कार्यों के लिए विस्तृत तकनीकी अनुदेश प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा जारी किये जावेंगे। सड़क एवं पुल-पुलियों का प्राक्कलन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रचलित राज्य दर अनुसूची के अनुसार तैयार किया जावेगा। परंतु अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान महात्मा गांधी नरेगा में लागू मजदूरी दर के आधार पर ही किया जावेगा।
3. निर्माण कार्यों के लिए सामग्री एवं मशीनरी की दरों का निर्धारण विभागीय निर्देशों के अंतर्गत किया जावे।

4. मार्ग निर्माण के तकनीकी मापदण्ड -

डामरीकृत मार्गों हेतु IRC : SP : 72-2007 (Guidelines for the Design of Flexible Pavements for Low Volume Rural Roads) - IRC : SP : 20-2002 (Rural Roads Manual) एवं Specification for Rural Roads August 2014 (MORD) के अद्यतन मापदण्ड लागू होंगे एवं पुल-पुलिया तथा अन्य कार्यों हेतु IRC के सुसंगत मापदण्ड लागू होंगे।

5. मूल्यांकन, भुगतान एवं गुणवत्ता नियंत्रण -

- (i) कार्यों का माप पुस्तिका में मूल्यांकन उपयंत्रों द्वारा विभागीय निर्देशों के अंतर्गत किया जावेगा एवं सत्यापन सहायक यंत्रों द्वारा किया जावेगा। कार्यपालन यंत्रों द्वारा मापों का सत्यापन म.प्र. कार्य विभाग मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
- (ii) मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान कार्यपालन यंत्रों द्वारा एफटीओ के माध्यम से मजदूरों के खाते में एवं सामग्री का भुगतान संबंधित वेन्डर के खाते में कार्यपालन यंत्रों द्वारा किया जावेगा।
- (iii) कार्यों के निरीक्षण स्टेट क्वालिटी मॉनिटर तथा विभाग के वरिष्ठ अभियंताओं द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

(iv) सामग्री के परीक्षण हेतु म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जिले में स्थित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला का उपयोग किया जा सकेगा।

6. निर्मित सड़कों का संधारण -

निर्मित सड़कों के संधारण एवं रख-रखाव का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा 14वां वित्त व अन्य मदों से किया जावेगा। संधारण कार्य के लिये विभाग द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

7. योजना प्रगति का अनुश्रवण -

शासन की यह एक महत्वपूर्ण उपयोजना है। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि, प्रोजेक्ट मोड में निर्माण कार्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एवं अभिसरण से क्रियान्वयन किया जावे।



(गौरी सिंह)

अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 08.03.2019

क्रमांक 11578/MGNRESG-MP/NR-3/2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल।
4. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. समस्त मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा परिक्षेत्र, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल मध्यप्रदेश।

प्रतिलिपि -

विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।



(जी.व्ही. रश्मि)

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

क्र.	जिले का नाम	लागत वर्ष 2018-19	सड़क के लिए 20% प्राप्त व्यय राशि	जनसंख्या > 50 जनगणना 2011 के आधार पर		जनसंख्या प्रगति >50 जनगणना 2011 के आधार पर		
				संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	पूर्ण होने का वर्ष
1	आगर मालवा	5233	1047	10	847	4	180	1
2	अलीराजपुर	10006	2001	7	1284			1
3	अनूपपुर	9835	1967			1	40	0
4	अशोकनगर	5992	1198	16	1128	6	420	2
5	बालाघाट	23579	4716	34	3778	3	230	1
6	बड़वानी	7940	1588	10	1212			1
7	बैतूल	13454	2691	63	7031			3
8	भिण्ड	7749	1550	8	596			1
9	भोपाल	3833	767	13	1142			2
10	बुरहानपुर	3618	724	9	1436	1	51	2
11	छतरपुर	10395	2079	57	3780	6	417	2
12	छिंदवाड़ा	16771	3354	47	4096	6	356	2
13	दमोह	10007	2001	80	6946	17	1115	4
14	दतिया	3158	632	8	490	2	34	1
15	देवास	9487	1897	37	3426	6	501	2
16	धार	19750	3950	24	4222			2
17	डिंडोरी	15651	3130	32	2788	10	456	1
18	गुना	7876	1575	37	3730			3
19	ग्वालियर	6727	1345	14	1368	12	529	2
20	हरदा	3292	658	10	1456			3
21	होशंगाबाद	3604	721	43	2188			4
22	इंदौर	3638	728	3	204	1	78	1
23	जबलपुर	7931	1586	19	1420			1
24	झाबुआ	12266	2453	56	5422	2	130	3
25	कटनी	10140	2028	32	2422			2
26	खण्डवा	9347	1869	3	416			1
27	खरगोन	12555	2511	39	3354	10	465	2
28	मंडला	18723	3745	6	412			1

क्र.	जिले का नाम	लागत वर्ष 2018-19	सड़क के लिए 20% प्राप्त व्यय राशि	जनसंख्या > 50 जनगणना 2011 के आधार पर		जनसंख्या प्रगति >50 जनगणना 2011 के आधार पर		
				संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	पूर्ण होने का वर्ष
29	मंदसौर	10218	2044	8	544			1
30	मुरैना	10158	2032	19	1650			1
31	नरसिंहपुर	8533	1707	28	3124			2
32	नीमच	4987	997	18	1212			2
33	पन्ना	7825	1565	118	9518			7
34	रायसेन	6694	1339	25	2644			2
35	राजगढ़	18474	3695	2	72	21	1207	1
36	रतलाम	10388	2078	14	786	6	241	1
37	रीवा	8957	1791	166	12859			8
38	सागर	14441	2888	33	3126	14	720	2
39	सतना	8938	1788	65	6800			4
40	सीहोर	7115	1423	3	236			1
41	सिवनी	13498	2700	41	3203			2
42	शहडोल	10046	2009	14	1654	5	284	1
43	शाजापुर	5487	1097	5	240	2	75	1
44	श्योंपुर	7926	1585	56	5448	2	125	4
45	शिवपुरी	12728	2546	54	3716			2
46	सीधी	5644	1129	82	11343			11
47	सिंगरौली	5682	1136	10	1051			1
48	टीकमगढ़	12996	2599	7	394			1
49	उज्जैन	6793	1359	17	1416			2
50	उमरिया	8089	1618	17	2320	3	150	2
51	विदिशा	8868	1774	33	2674	3	86	2
	कुल योग	487044	97409	1552	142625	143	7889	

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना के नवीन दिशा-निर्देश



म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्र./1443/MGNREGS-MP/NR-3/2019

भोपाल, दिनांक 31.05.2019

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
जिला - समस्त (म.प्र.)

विषय : महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना के नवीन दिशा-निर्देश।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सभी जिलों में SECURE लागू होने के दृष्टिगत ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना के तहत नवीन खेल मैदान निर्माण हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. खेल मैदान निर्माण के लिये मानक मापदण्डों पर SECURE Software द्वारा तैयार किये गये Freeze Template में प्राकृतित लागत वर्ष 2018-19 के SOR एवं वर्ष 2019-20 की मजदूरी दर पर निम्न तालिका अनुसार होगी :-

क्र.	कार्य का नाम	मानक मापदण्ड अनुसार प्राकृतित लागत (राशि रुपये में)	अकुशल श्रम (मानव दिवस में)	सामग्री मद (राशि रुपये में)
1.	Playground, Size 100m x 100m with bench 10m x 1m, Ladies & Gents Urinal	4,04,610	1208	1,92,002
2.	Playground, Size 80m x 60m with bench 10m x 1m, Ladies & Gents Urinal	2,19,602	616	1,11,186
3.	Playground, Size 60m x 40m with bench 10m x 1m, Ladies & Gents Urinal	1,34,369	339	74,705

2. खेल मैदान का आकार Freeze Template के मापदण्ड में मौके की स्थिति के अनुसार भिन्न होने पर कार्यपालन यंत्रि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से अनुमोदन प्राप्त कर SECURE में ऑनलाइन प्राकृतित, तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी। बशर्ते कि खेल मैदान का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर से कम न हो।

3. बैठक व्यवस्था हेतु 10 x 1 मी. की ईट/कांक्रीट की बेंच, पुरुष तथा महिला मूत्रालय के निर्माण की लागत SECURE द्वारा तैयार किये गये Freeze Template में सम्मिलित है।

4. स्थल का चयन :

4.1 खेल का मैदान ग्राम में ऐसे स्थान पर विकसित किया जाये जिसका सहजता से उपयोग किया जा सके। स्कूल एवं पंचायत भवन से लगे प्रांगण खेल का मैदान विकसित करने के लिये उपयुक्त होते हैं।

4.2 क्रीड़ांगन के निर्माण के लिये सामान्यतः समतल एवं आयताकार भूमि उपयुक्त होती है। ज्यादा ऊँची-नीची भूमि में समतलीकरण में व्यय अधिक होता है। कार्य स्थल पर वर्षाकाल में आवागमन सुगम हो।

4.3 काली मिट्टी के क्षेत्रों में मैदान बनाने में विशेष अतिरिक्त सावधानी आवश्यक होगी।

5. सीपीटी निर्माण (पशु अवरोधक नाली) :

- 5.1 भूमि का अधिपत्य हो जाने के पश्चात सबसे पहले प्रॉपर्टी लाइन से सटाते हुए सीपीटी को मार्क किया जावे एवं चूना की लाइन डाली जावे।
- 5.2 सीपीटी की ऊपरी चौड़ाई 2.25 मीटर, नीचे की चौड़ाई 0.75 मीटर एवं गहराई 0.75 मीटर होगी। खुदाई पश्चात उपयोगी मिट्टी को खेल मैदान में समतलीकरण हेतु उपयोग में लाया जायेगा। अन्य अनुपयोगी मिट्टी, पत्थर आदि को खाई के किनारे पर अंदर की ओर एकत्रित किया जावे।
- 5.3 जिले के क्षेत्र में बड़े बोल्टर की उपलब्धता होने पर सीपीटी के स्थान पर ड्राय वोल्टर वॉल भी बनायी जा सकती है।

6. खेल मैदान निर्माण :

- 6.1 खुदाई एवं समतलीकरण करते समय मैदान का स्लोप पानी के बहाव की दिशा को ध्यान में रखते हुये बनाया जाये। यह स्लोप लगभग 1:500 स्थल के पानी की निकासी अनुसार होगा। यदि पानी का ढाल मैदान के लगभग मध्य से दोनों ओर है, तो ढाल दोनों दिशाओं में दिया जाये।
- 6.2 मैदान समतलीकरण करने के लिये अच्छे किस्म की मिट्टी अथवा मुरूम की आवश्यकता होगी। सीपीटी से प्राप्त मिट्टी/मुरूम का उपयोग इस हेतु किया जा सकता है। यदि इसके पश्चात भी मुरूम की आवश्यकता होती है तो स्थल के न्यूनतम दूरी से लायी जाकर एकत्रित की जावे। काली मिट्टी अथवा एक्सपान्सिव मिट्टी का उपयोग न करें।
- 6.3 मुरूम को लगभग 1:500 के ढाल में 30 से.मी. मोटाई में बिछाया जाये एवं उस पर आवश्यक होने पर पानी का छिड़काव (लगभग मिट्टी के भार का 15-18 प्रतिशत) किया जावे। इसे रोलर से दबाया (Compact) जावे।
- 6.4 रोलर 6 से 8 टन वजन का होता है और सामान्यतः 8 से 10 बार चलाने पर मुरूम की दबाई होती है। रोलिंग तब तक की जाये, जब तक सतह पर रोलर के निशान बनना बंद न हो जायें। यदि ग्राम के नालों में मोटी रेत (20-30 प्रतिशत मिट्टी मिली हुई हो सकती है) उपलब्ध है तो उसे रोलिंग के समय ऊपरी सतह पर डाला जा सकता है। इससे सतह ठोस हो जाती है।

7. बैठक व्यवस्था :

- 7.1 दर्शकों के बैठने के लिये ईंट/कांक्रीट की जुड़ाई की जाकर बेंच बनायी जायेगी। इस हेतु जमीन के अंदर 45 सेमी. गहराई तक खोदा जायेगा, 10 सेमी. की मोटाई में 1:4:8 (1 सीमेंट, 4 रेत, 8 गिट्टी) बेस कांक्रीट डाली जाकर उसके ऊपर 30 सेमी. मोटाई की ईंट की जुड़ाई जमीन स्तर तक की जावेगी।
- 7.2 जमीन के ऊपर 45 सेमी. तक 20 सेमी. चौड़ाई में ईंट से जुड़ाई की जायेगी एवं इसके भीतर पक्की दानेदार मुरूम को भरा जाकर दुरमुट से कुटाई की जायेगी। इसके ऊपर 1:2:4 सीमेंट कांक्रीट 10 सेमी. की मोटाई में पूरी चौड़ाई में की जावेगी एवं उसे चिकना किया जावेगा। जमीन के ऊपर दीवार पर सीमेंट का प्लास्टर 1:6 अनुपात से किया जायेगा।

8. स्वीकृति :

- 8.1 खेल मैदान का प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति SECURE में ऑनलाइन दी जावेगी। प्राक्कलन उपयंत्रि द्वारा तैयार किया जावेगा, तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति क्रमशः सहायक यंत्रि व ग्राम पंचायत द्वारा दी जावेगी।
- 8.2 खेल मैदान की लागत SECURE से जारी प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर निर्धारित होगी। आगामी वर्षों में अकुशल मजदूरी, अर्द्धकुशल व कुशल मजदूरी एवं सामग्री की दर में वृद्धि/कमी होने पर नवीन कार्य हेतु लागत केन्द्र व राज्य स्तर से दरें अद्यतन करने पर स्वतः परिवर्तित हो जावेगी।

9. तकनीकी मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता :

- 9.1 प्रभारी उपयंत्रि द्वारा भूमि का स्वामित्व शासकीय भूमि होना सुनिश्चित करते हुये, कार्य स्थल पर लेआउट दिया जावेगा।
- 9.2 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंता (कार्यपालन यंत्रि, सहायक यंत्रि, उपयंत्रि) निर्माण के तकनीकी पहलुओं और गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखेंगे।
- 9.3 उपयंत्रि सतत् तकनीकी मार्गदर्शन देंगे। नियत साप्ताहिक मजदूरी दिवस के पूर्व के दिन माप लेकर माप पुस्तिका में दर्ज करेंगे एवं मूल्यांकन करेंगे।
- 9.4 सहायक यंत्रि का दायित्व निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक की अवधि में न्यूनतम एक बार निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना रहेगा। साथ ही कार्य पूर्ण होने के उपरांत एक माह की अवधि में कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र अपने लॉगिन से नरेगा साफ्ट में अपलोड/जारी करने का उत्तरदायित्व भी होगा।

10. **भुगतान :** मूल्यांकन के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पास आर्डर (भुगतान आदेश) लगाया जावेगा, ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मजदूरी भुगतान हेतु वेज लिस्ट जनरेट/सामग्री खपत के बिलों की प्रविष्टि की जावेगी। सहायक लेखा अधिकारी द्वारा

पंचायत गजट

FTO तैयार किया जावेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा FTO से भुगतान संबंधित के खाते में किया जावेगा।

11. कार्य की पूर्णता :

- 11.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत का दायित्व समय पर मस्टर रोल जनरेट करना, साप्ताहिक मजदूरी का समय-सीमा में भुगतान तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होना सुनिश्चित करना रहेगा। जनपद पंचायत अंतर्गत विगत वर्षों के अपूर्ण खेल मैदान का विश्लेषण कर एक वर्ष से अधिक लंबित रहने के कारण ज्ञात करेंगे एवं उन्हें पूर्ण किये जाने की समय-सीमा निर्धारित करेंगे। नवीन खेल मैदान को अधिकतम एक वर्ष में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 11.2 अति. कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व समय-सीमा पर मस्टररोल जारी करना समय-सीमा में साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान कराना रहेगा। सामग्री खपत के अनुसार सामग्री मद का भुगतान कराने का दायित्व रहेगा।

12. प्रभावशीलता :

- 12.1 सभी जिलों में लागू होने के दिनांक से नवीन कार्यों हेतु प्रभावशील होंगे।
- 12.2 पूर्व में स्वीकृत तथा प्रगतिरत खेल मैदान के कार्यों की मानक लागत एवं शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(Handwritten Signature)


(गौरी सिंह)

अपर मुख्य सचिव

म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण क्रीडांगन

टाईप 1








प्लान (दिनांक 29.09.16)

आवश्यक क्षेत्रफल 2.47 एकड़


मैदान नाप 100मी. x 100 मी.

अनुमानित लागत -रु 3.20 लाख (दिनांक 01.02.16 से प्रभावशील एस.ओ.आर अनुसार)



टाईप 2






ग्रामीण क्रीडांगन



प्लान

आवश्यक क्षेत्रफल—1.18 एकड़
मैदान नाप 80 मी. x 60 मी.

अनुमानित लागत —रु 1.536 लाख
(दिनांक 01.02.16 से प्रभावशील एस.ओ.आर अनुसार)



MODEL DRAWING
OF GRAMIN KRIDANGAN

DRAWING APPROVED BY:

DRAWN BY:

PLAN

Dt. 29.09.2016

ENGINEER in CHIEF,
RURAL ENGINEERING SERVICE
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

AR. KIRAN PATIDAR

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निरस्त एवं लंबित दावों के निराकरण हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन



मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्र. 440/अमुस/2019/पं.-1

भोपाल, दिनांक 06.07.2019

प्रति,

1. कलेक्टर
जिला :- समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश

विषय : वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निरस्त एवं लंबित दावों के निराकरण हेतु विशेष ग्राम सभा आयोजित करने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रचलित याचिका क्रमांक 109/2008 वाइल्ड लाईफ फर्स्ट ऑफ इंडिया विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 13.02.2018 एवं दिनांक 28.02.2018 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में प्रदेश के वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सभी 3.60 लाख निरस्त दावों का पुनः परीक्षण विकसित किये गये ऑनलाइन एम.पी. वनमित्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना है। इस संबंध में राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक दिनांक 27.02.2018 में निर्णय लिया गया है कि समस्त निरस्त दावों को ग्राम सभा को पुनः सम्प्रेषित किया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक दावेदार को विधि अनुसार युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देकर उनके दावे का निराकरण हो। तत्पश्चात उपखण्ड स्तरीय समिति व जिला स्तरीय समिति के समक्ष इन प्रकरणों को पुनः रखा जाकर निरस्त दावों को जिला स्तरीय समिति द्वारा ग्राम सभा को रिमांड किया जाना है।

उपरोक्तानुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6, मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 और मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 के प्रावधानों अनुसार केवल ऐसे ग्राम जिनमें निरस्त दावे प्राप्त होंगे, उनमें ही दिनांक 15.07.2019 से 20.07.2019 तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर अपेक्षित कार्यवाही संपादित किया जाना सुनिश्चित करें।

(गौरी सिंह)

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग